रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-30032026-271416
CG-TL-E-30032026-271416

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948
No. 225] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 30 मार्च, 2026

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) (संशोधन) विनियम, 2026

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/2/216/2026.— बीमा अधिनियम, 1938(1938 का 4) की धारा 114ए की उप-धारा (2) के खंड (एफ), (जी), (एच), (आई), (आईए), (आईबी), (वाई), (जेड), (जेडए), (जेडडी) और (जेडएबी), धाराओं 11, 13, 20, 27, 28, धारा 29 की उप-धारा (3) के खंड (ए), 49, 64वी, और 64वीए तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 14 और 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 का संशोधन करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः**
   (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) (संशोधन) विनियम, 2026 कहलाएँगे।
   (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से अथवा 1 अप्रैल 2026 से, जो भी बाद में हो, प्रवृत्त होंगे।
2. **उद्देश्यः** इन विनियमों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है किः

(1) वित्तीय विवरण बीमाकर्ता की परिस्थिति का एक सही और उचित अवलोकन उपलब्ध कराने के लिए प्रयोज्य भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस), सिद्धांतों और नीतियों के अनुसार तैयार किये जाएँ और रिपोर्ट किये जाएँ।

3. अध्याय - II में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के विनियम 6 में उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित को निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2क), अनुसूची – II-क: इंड एएस वित्तीय कार्य"

4. अध्याय – II में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के विनियम 6 के बाद, निम्नलिखित को निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

"6क. इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए स्थगन (फारबेअरन्स) का प्रयोग करने की शक्ति

(1) सक्षम प्राधिकारी बीमाकर्ता की तैयारी, परिवर्तन की जटिलता और संगत समझे जानेवाले विचारयोग्य अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, बीमाकर्ता के संबंध में भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हुए वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए असमर्थ है, स्थगन का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार का स्थगन सक्षम प्राधिकारी के द्वारा एक वर्ष के लिए प्रदान किया जा सकता है।

बशर्ते कि स्थगन के लिए अनुरोध 30 अप्रैल, 2026 को या उसके पहले किया जाएगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी बीमाकर्ता की प्रणालियों, प्रक्रियाओं, और अभिशासन ढाँचे का ध्यान रखते हुए, ऐसे बीमाकर्ता को इंड एएस के कार्यान्वयन के लिए मासिक तैयारियों के विवरण से युक्त बोर्ड-अनुमोदित कार्य योजना के प्रस्तुतीकरण के अधीन, एक वर्ष के लिए इन विनियमों की अनुसूची II के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करना जारी रखने के लिए ऐसे बीमाकर्ता को अनुमति दे सकता है।

(3) बीमाकर्ता ऐसी कार्य योजना के भाग के रूप में समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मीलपत्थरों, प्रणाली के लिए सामयिकता और डेटा की तैयारी, बीमांकित और वित्त कार्य तत्परता और अभिशासन ढाँचे की स्थिति सहित, इंड एएस के परिवर्तन के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करेगा।

(4) उस अवधि के दौरान जिसके लिए स्थगन प्रदान किया जाता है, बीमाकर्ता एक तिमाही आधार पर इन विनियमों की अनुसूची-IIक के अनुसार वित्तीय सूचना भी तैयार करेगा और प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

(5) इस विनियम के अंतर्गत स्थगन का प्रदाय इस शर्त के अधीन होगा कि बीमाकर्ता सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में समय-सीमा के अंदर इंड एएस का संपूर्ण अनुपालन प्राप्त करेगा।

5. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 में, अनुसूची-II के बाद,

"अनुसूची-II-क – इंड एएस वित्त कार्य" को निम्नानुसार निविष्ट किया जाएगा -

"अनुसूची – II: इंड एएस - वित्त संबंधी कार्य

भाग I: सभी बीमाकर्ताओं के इंड एएस वित्तीय विवरण और प्रबंध रिपोर्ट तैयार करना

1. प्रयोज्यता

(1) विनियमों का यह भाग जीवन बीमाकर्ताओं, साधारण बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं सहित सभी बीमाकर्ताओं के लिए लागू होगा।

2. परिभाषाएँ

(1) "भारतीय लेखांकन मानक अथवा (इंड एएस)" से समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अधीन अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक अभिप्रेत हैं।

3. इंड एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए लेखांकन सिद्धांत

(1) भारतीय लेखांकन मानकों की प्रयोज्यता.- बीमाकर्ता का प्रत्येक तुलन-पत्र, ईक्विटी में परिवर्तनों का विवरण, लाभ और हानि का विवरण, प्राप्ति और भुगतान का विवरण बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के लिए लागू सीमा तक, भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुरूप होंगे।

(2) इंड एएस वित्तीय विवरणों में न्यूनतम प्रकटीकरण अपेक्षाओं में निम्नलिखित होंगे:

i. तुलन-पत्र (वित्तीय स्थिति का विवरण)

ii. ईक्विटी में परिवर्तनों का विवरण

iii. लाभ और हानि का विवरण, जिसमें निम्नलिखित होंगेः

क. लाभ अथवा हानि, तथा

ख. अन्य व्यापक आय (ओसीआई)

iv. प्राप्ति और भुगतान खाता (नकदी प्रवाहों का विवरण)

v. राजस्व खाता

vi. निम्नलिखित सहित इंड एएस वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ :

क. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

ख. अन्य व्याख्यात्मक सूचना

(3) इंड एएस वित्तीय विवरण बीमाकर्ता की वित्तीय स्थिति के सही और उचित चित्र को प्रतिबिंबित करेंगे।

(4) इन विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित इंड एएस वित्तीय विवरण फार्मेट और प्रकटीकरण ऐसे रूप में और ऐसे तरीके से, तथा ऐसे फार्मेटों के अनुसार तैयार किये जाएँगे जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाएगा और समय-समय पर जारी किये जानेवाले समनुषंगी अनुदेशों के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

4. मुख्य नीतिगत स्थितियाँ

पालिसीधारकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना, इंड एएस और बीमा अधिनियम, 1938 के बीच सुयोजन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित नीतिगत स्थितियों को अपनाया जाएगाः

(1) पालिसीधारक और शेयरधारक निधियाँ

i. इंड एएस वित्तीय विवरण (तुलन-पत्र, ईक्विटी में परिवर्तनों का विवरण, लाभ और हानि का विवरण तथा प्राप्ति और भुगतान खाता) इंड एएस के अनुसार संस्था के स्तर पर तैयार किये जाएँगे।

ii. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 11 का अनुपालन करने के लिए पालिसीधारक निधि हेतु एक अलग राजस्व लेखा तैयार किया जाएगा।

iii. पालिसीधारक और शेयरधारक निधियों का अलग-अलग प्रकटीकरण इंड एएस विवरणों का भाग बननेवाली अनुसूचियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

iv. बीमा अधिनियम, 1938 के अंतर्गत अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) किये गये रूप में पालिसीधारक और शेयरधारक निधियों के लिए अलग खातों का अनुरक्षण।

(2) वार्षिक कोहार्ट अपेक्षा

i. बीमाकर्ता सहभागी बीमा संविदाओं के लिए अपेक्षित सहित, **इंड एएस 117 के अंतर्गत वार्षिक कोहार्ट अपेक्षा** का अनुपालन करेंगे।

ii. इंड एएस 117 उपबंधों के अनुसार, जहाँ लागू है वहाँ परिवर्तन राहत लागू की जाएगी।

(3) अधिशेष का वितरण

i. पालिसीधारकों और शेयरधारकों को अधिशेष के वितरण के लिए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 49 के अधीन निर्धारित **बीमांकिक अधिशेष** आधार के रूप में रहेगा।

ii. वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए इंड एएस 117 के अंतर्गत स्वीकृत लाभ लेखांकन लाभ है तथा यह वितरणयोग्य अधिशेष नहीं माना जाएगा।

iii. पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए बीमांकिक अधिशेष और इंड एएस लाभ के बीच समाधान सहित, उपयुक्त प्रकटीकरण प्रस्तुत किये जाएँगे।

5. परिवर्तन चरण के दौरान समांतर प्रस्तुतीकरण

(1) कार्यान्वयन की तारीख से दो वर्ष के दौरान अथवा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली अवधि के दौरान, प्रत्येक बीमाकर्ता एक ही रिपोर्टिंग अवधि के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेगाः

i. इस अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट रूप में और विनिर्दिष्ट तरीके से भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) ढाँचे के अनुसार तैयार किये गये वित्तीय विवरण; तथा

ii. इन विनियमों की अनुसूची-II के अनुसार तैयार की गई वित्तीय सूचना जिसका प्रकटीकरण बीमाकर्ता की वेबसाइट पर किया जाएगा।

6. इंड एएस संबंधी विशेषज्ञ समूह का गठन

(1) बीमाकर्ताओं के द्वारा भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होनेवाली समस्याओं की जाँच और उनके समाधान के प्रयोजन के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक संयुक्त विशेषज्ञ समूह का गठन किया जा सकता है।

(2) उक्त संयुक्त विशेषज्ञ समूह में निम्नलिखित हो सकते हैं :

i. पूर्णकालिक सदस्य (वित्त और निवेश), आईआरडीएआई (अध्यक्ष)

ii. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा नामित दो प्रतिनिधि;

iii. भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा नामित दो प्रतिनिधि;

iv. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा नामित एक प्रतिनिधि;

v. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा नामित एक प्रतिनिधि;

vi. ऐसा अन्य व्यक्ति जो आवश्यक हो सकता हो; तथा

vii. विभाग-प्रमुख (वित्त और निवेश), आईआरडीएआई सदस्य-संयोजक के रूप में कार्य करेगा।

(3) उक्त संयुक्त विशेषज्ञ समूह की कार्यपद्धति और प्रक्रियागत पहलू समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में होंगे।

(4) उक्त संयुक्त विशेषज्ञ समूह दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में विस्तारित अवधि के लिए प्रचलन में होगा।

7. स्वतंत्र वैधीकरण

(1) भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष के दौरान अथवा ऐसी अवधि के लिए जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा, प्रत्येक बीमाकर्ता इंड एएस के कार्यान्वयन में अपनाई गई प्रक्रिया का स्वतंत्र वैधीकरण प्राप्त करेगा। ऐसे वैधीकरण का विस्तार और तरीका सक्षम प्राधिकारी के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

8. वियोजित निधियों (संबद्ध व्यवसाय) के लिए इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करनाः

(1) जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले सभी बीमाकर्ता संबद्ध व्यवसायों की प्रत्येक वियोजित निधि के लिए इंड एएस वित्तीय विवरणों का अलग सेट तैयार करेगा तथा जिनके साथ इंड एएस वित्तीय विवरण संलग्न किये जाएँगे।

(2) वियोजित निधियाँ पालिसीधारकों, जो निवेश जोखिम को वहन करेंगे, के विशिष्ट निवेश लक्ष्यों को पूरा करने के लिए खातों में अनुरक्षित निधियों को निरूपित करती हैं। निवेश आय/अभिलाभ और हानियाँ सामान्यतः पालिसीधारकों के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपचित होते हैं। प्रत्येक खाते की आस्तियाँ अलग की जाती हैं और वे बीमाकर्ता के किसी अन्य व्यवसाय से उत्पन्न होनेवाले दावों के अधीन नहीं हैं।

9. इंड एएस वित्तीय विवरणों का भाग बननेवाले प्रकटीकरण

क. कार्यपद्धतियों और मुख्य पूर्वानुमानों सहित, इंड एएस को लागू करने में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और निर्णयों के संबंध में, इंड एएस की अपेक्षाओं के अनुसार लेखों की टिप्पणियों में निम्नलिखित प्रकटीकरण किये जाएँगेः-

(1) इंड एएस 117 का अभिनिर्धारण और विस्तार

(2) बीमा संविदाओं का संयोजन

(3) बीमा संविदा से घटकों का पृथक्करण

(4) समूहन का स्तर

(5) स्वीकरण

(6) बीमा संविदाओं का मापन

i. नकदी प्रवाहों की पूर्ति

ii. डिस्काउंट दर

iii. जोखिम समायोजन

iv. संविदागत सेवा मार्जिन

v. संविदा की सीमा

vi. कवरेज यूनिट

vii. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाना है)

(7) दुर्वह संविदाएँ

(8) प्रीमियम आबंटन दृष्टिकोण

(9) बीमा अधिग्रहण नकदी प्रवाह

(10) धारित पुनर्बीमा संविदाएँ

i. स्वीकरण

ii. मापन

iii. प्रीमियम आबंटन दृष्टिकोण

iv. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाना है)

(11) विवेकपूर्ण सहभागिता की विशेषताओं से युक्त निवेश संविदाएँ

(12) आशोधन और स्वीकरण-समाप्ति

(13) बीमा वित्त आय अथवा व्यय

(14) संवेदनशीलता विश्लेषण सहित, इंड एएस 117 के विस्तार के अंदर संविदाओं से उत्पन्न होनेवाले जोखिम

i. बीमा जोखिम

ii. ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम और बाजार जोखिम सहित, वित्तीय जोखिम

iii. जोखिम के संकेन्द्रण

(15) वित्तीय लिखत

i. वर्गीकरण

ii. मापन

iii. क्षति

iv. व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव)

v. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाना है)

(16) पट्टे

(17) बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्ययः व्यवसाय के विभिन्न खंडों को आबंटन का आधार और व्यय का प्रभाजन

(18) परिवर्तन का दृष्टिकोण

(19) कराधान, लेखांकन नीति में परिवर्तन/इंड एएस के अंगीकरण के कारण प्रभाव सहित।

(20) इंड एएस के द्वारा अपेक्षित लेखांकन नीतियों से किसी प्रस्थान का प्रकटीकरण अलग से किया जाएगा और ऐसे प्रस्थान के लिए कारण बताये जाएँगे।

(21) पहले के इंड एएस वित्तीय विवरणों से पूर्वानुमानों में कोई भी परिवर्तन, औचित्य और उसके वित्तीय प्रभाव के साथ विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(22) इंड एएस द्वारा अपेक्षित रूप में सभी अन्य प्रयोज्य लेखांकन नीतियाँ और प्रकटीकरण प्रकट किये जाएँगे।

ख. जीवन बीमा व्यवसाय के लिए टिप्पणियों के द्वारा निम्नलिखित सूचना का भी प्रकटीकरण किया जाएगाः

(1) आकस्मिक देयताएँ :

i. अंशत - प्रदत्त निवेश;

ii. बकाया जोखिम-अंकन प्रतिबद्धताएँ;

iii. पालिसियों के अंतर्गत दावों को छोड़कर, कर्जों के रूप में न माने गये दावे;

iv. विवादास्पद सांविधिक माँगें/देयताएँ, जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है;

v. पुनर्बीमा दायित्व, खातों में प्रावधान न करने की सीमा तक;

vi. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाना है)।

(2) भारत के अंदर और बाहर कंपनी की आस्तियों के लिए ऋणभारग्रस्तताएँ।

(3) ऋणों, निवेशों और अचल आस्तियों के लिए की गई और बकाया वचनबद्धताएँ।

(4) तुलन-पत्र के दिनांक की स्थिति के अनुसार निपटाये गये और छह महीने से अधिक अवधि के लिए अदत्त रहे दावे।

(5) निम्नलिखित के लिए निवेशों के संबंध में संविदाओं का मूल्यः

i. खरीद जहाँ सुपुर्दगी लंबित है।

ii. बिक्री जहाँ भुगतान अतिदेय हैं।

(6) प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना।

(7) उचित मूल्य आधार पर मूल्यांकित निवेशों की ऐतिहासिक लागतें।

(8) निवेश आस्ति के पुनर्मूल्यन का आधार।

(9) नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत् प्रमाणित रूप में चालू वर्ष और पिछले वर्ष में निःशुल्क अवलोकन अवधि के दौरान पालिसी निरसनों के लिए किये गये प्रावधान।

(10) प्रकटीकरण कि शेयरधारकों के द्वारा पालिसीधारकों के खाते में किये गये अंशदान अप्रत्यावर्तनीय स्वरूप के हैं, तथा भविष्य में किसी भी समय शेयरधारकों को वापस नहीं किये जाएँगे, जो बीमाकर्ता की आम बैठक के संदर्भ में हो जिसमें शेयरधारकों का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त किया गया हो।

(11) किसी भी सांविधिक अपेक्षा के अनुसार किये गये निवेशों का प्रकटीकरण उनकी राशि, स्वरूप, जमानत तथा भारत के अंदर और बाहर किन्हीं विशेष अधिकारों सहित, अलग से किया जाना चाहिए।

(12) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये निदेशों, यदि कोई हों, के अनुसार आय निर्धारण के प्रयोजन के लिए अर्जक/अनर्जक निवेशों के रूप में पृथक्करण।

(13) भारत के अंदर या बाहर स्थानीय विधियों के अंतर्गत या अन्य प्रकार से धरोहर रखे जाने के लिए अपेक्षित सीमा तक आस्तियाँ।

(14) कर्ज प्रतिभूतियों के परिशोधन का आधार।

(15) व्यवसाय क्षेत्र वार प्रतिशत।

(16) पालिसीधारकों के खाते और शेयरधारकों के खाते के बीच निवेशों और उनपर आय के आबंटन के आधार।

(17) नियुक्त बीमांकक के द्वारा विधिवत् प्रमाणित रूप में पूर्वानुमानों और अनुभव के आधार पर, निःशुल्क अवलोकन अवधि के दौरान पालिसी निरसनों के लिए प्रावधानीकरण हेतु नीति और सिद्धांतों का प्रकटीकरण।

(18) संबंधित आय सहित, अदावी राशि – व्यवहार और प्रस्तुतीकरण।

(19) कोई अन्य सूचना जो विनिर्दिष्ट की जाएगी।

ग. निम्नलिखित सूचना का प्रकटीकरण साधारण बीमा व्यवसाय, स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय और पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए टिप्पणियों के द्वारा किया जाएगा –

(1) आकस्मिक देयताएँ :

i. अंशत - प्रदत्त निवेश

ii. बकाया जोखिम-अंकन प्रतिबद्धताएँ

iii. पालिसियों के अंतर्गत दावों को छोड़कर, कर्जों के रूप में न माने गये दावे

iv. विवादग्रस्त सांविधिक माँगें/देयताएँ, जिनके लिए प्रावधान न की गई सीमा तक

v. पुनर्बीमा दायित्व, खातों में प्रावधान न की गई सीमा तक

vi. अन्य (विनिर्दिष्ट की जानी हैं)

(2) भारत के अंदर और बाहर कंपनी की आस्तियों के लिए ऋणभारग्रस्तताएँ।

(3) ऋणों, निवेशों और अचल आस्तियों के लिए की गई और बकाया प्रतिबद्धताएँ।

(4) पुनर्बीम को घटाकर, भारत के अंदर/बाहर दावेदारों को भुगतान किये गये दावे।

(5) उन दावों के मामले में दावा देयताओं के निर्धारण के लिए बीमांकिक पूर्वानुमान जहाँ दावा भुगतान अवधि चार वर्ष से अधिक है।

(6) दावों की अवधि – छह महीने से अधिक बकाया दावों और अन्य दावों के बीच भेद दर्शाते हुए।

(7) भारत के अंदर/बाहर से अंकित पुनर्बीमा व्यवसाय को घटाकर प्रीमियम।

(8) निम्नलिखित के लिए निवेशों से संबंधित संविदाओं का मूल्य –

i. खरीद जहाँ वितरण लंबित हैं

ii. बिक्री जहाँ भुगतान अतिदेय हैं

(9) बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्ययः व्यवसाय की विभिन्न श्रेणियों को व्यय के आबंटन और प्रभाजन का आधार।

(10) उचित मूल्य आधार पर मूल्यांकित निवेशों की ऐतिहासिक लागतें।

(11) प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना।

(12) कर्ज प्रतिभूतियों के परिशोधन का आधार।

(13) निवेश आस्ति का उचित मूल्य और उसके लिए आधार।

(14) तुलन-पत्र के दिनांक की स्थिति के अनुसार निपटाये गये दावे और छह महीने से अधिक अवधि के लिए अदत्त शेष दावे।

(15) नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत् प्रमाणित रूप में चालू वर्ष और पिछले वर्ष में निःशुल्क अवलोकन अवधि के दौरान पालिसी निरसनों के लिए किये गये प्रावधान।

(16) किसी भी सांविधिक अपेक्षा के अनुसार किये गये निवेशों का प्रकटीकरण अलग से उनकी राशि, स्वरूप, जमानत और भारत के अंदर और बाहर किन्हीं विशेष अधिकारों सहित किया जाना चाहिए।

(17) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये निदेशों, यदि कोई हों, के अनुसार आय निर्धारण के प्रयोजन के लिए अर्जक/अनर्जक निवेशों के रूप में पृथक्करण।

(18) व्यवसाय क्षेत्र-वार प्रतिशत।

(19) राजस्व खाते और लाभ-हानि खाते के बीच ब्याज, लाभांशों और किराये के आबंटन का आधार।

(20) नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत् प्रमाणित रूप में पूर्वानुमानों और अनुभव के आधार पर, निःशुल्क अवलोकन अवधि के दौरान पालिसी निरसनों के लिए प्रावधानीकरण हेतु नीति और सिद्धांतों का प्रकटीकरण।

(21) कोई अन्य सूचना जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए।

10. इंड एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए सामान्य अनुदेश

(1) तुलन-पत्र, राजस्व खाते, लाभ और हानि खाते तथा प्राप्ति और भुगतान खाते में दर्शाई गई सभी मदों के लिए तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए तदनुरूपी राशियाँ दी जाएँगी।

(2) इंड एएस वित्तीय विवरणों में आंकड़े निकटतम लाख तक पूर्णांकित किये जाएँ।

(3) किसी निवेश के संबंध में प्राप्य ब्याज, लाभांशों और किराये को सकल राशि पर बताया जाना चाहिए, स्रोत पर कटौती किये गये आय-कर की राशि को "प्रदत्त अग्रिम करों" और स्रोत पर काटे गये करों के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए।

(4) कंपनी ऐसे मुकदमों के अंतर्गत हर्जाने के लिए प्रावधान करेगी जहाँ प्रबंधन की राय में अधिनिर्णय बीमाकर्ता के विरुद्ध हो सकता है।

(5) प्रतिधारित और पुनःबीमाकृत जोखिम की सीमा का प्रकटीकरण अलग से किया जाएगा।

(6) सभी बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे शेयरधारकों और पालिसीधारकों के लिए अलग निवेश खाते रखें तथा उक्त निवेशों पर आय/उपचित हानियों/पूँजीगत अभिलाभों/हानियों को राजस्व खाते/लाभ और हानि खाते में, जैसी स्थिति हो, जमा किया जाए/नामे डाला जाए।

(7) इंड एएस वित्तीय विवरणों की प्रत्येक मद के संबंध में लेखों पर टिप्पणियों में किसी संबंधित सूचना के साथ प्रति-संदर्भ (क्रास-रिफ्रेंस) किया जाएगा।

(8) इंड एएस वित्तीय विवरण सभी `महत्वपूर्ण' मदों का प्रकटीकरण करेंगे, अर्थात् ऐसी मदें जो उन आर्थिक निर्णयों को वैयक्तिक रूप से या सामूहिक तौर पर प्रभावित कर सकती हैं जो प्रयोगकर्ता इंड एएस वित्तीय विवरणों के आधार पर लेते हैं।

11. प्रबंध रिपोर्ट की विषय-वस्तुः

प्रबंध रिपोर्ट इंड एएस वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न की जाएगी, जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित से युक्त, प्रबंधन के द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत एक प्रबंध रिपोर्ट होगीः

(1) प्राधिकरण द्वारा प्रदान किये गये पंजीकरण की लगातार जारी विधिमान्यता के संबंध में पुष्टीकरण।

(2) प्रमाणीकरण कि सांविधिक प्राधिकारियों को देय सभी राशियों का विधिवत् भुगतान किया गया है।

(3) इस आशय का पुष्टीकरण कि वर्ष के दौरान शेयरधारिता का स्वरूप और शेयरों का कोई भी अंतरण सांविधिक या विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार हैं।

(4) घोषणा कि प्रबंधन ने भारत में जारी की गई पालिसियों के धारकों की निधियों का भारत के बाहर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निवेश नहीं किया है।

(5) पुष्टीकरण कि अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिनों का अनुरक्षण किया गया है।

(6) इस आशय का प्रमाणीकरण कि तुलन-पत्र की तारीख को सभी आस्तियों के मूल्यों की समीक्षा की गई है तथा उनके (बीमाकर्ता के) विश्वास के अनुसार तुलन-पत्र में प्रस्तुत आस्तियों को उनकी समग्र राशियों पर दर्शाया गया है जो उनके वसूलीयोग्य अथवा बाजार मूल्य से अधिक नहीं हैं।

(7) इस आशय का प्रमाणीकरण कि जीवन बीमा निधि के किसी भी भाग का उपयोग बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के, जीवन बीमा निधियों के उपयोग और निवेश से संबंधित उपबंधों का उल्लंघन करते हुए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं किया गया है।

(8) जोखिमों का न्यूनीकरण करने के लिए अपनाई गई समग्र जोखिम एक्सपोज़र और कार्यनीति के संबंध में प्रकटीकरण।

(9) अन्य देशों में परिचालन, यदि कोई हों, एक अलग विवरण के साथ देश जोखिम और एक्सपोज़र जोखिम के संबंध में प्रबंधक-वर्ग के अनुमान तथा अपनाई गई बचाव-व्यवस्था (हेजिंग) की रणनीति का ब्योरा देते हुए।

(10)पूर्ववर्ती पाँच वर्षों के दौरान औसत दावा निपटान की प्रवृत्तियों को निर्दिष्ट करते हुए दावों के निपटान की अवधि (एजिंग)।

(11)इस आशय का प्रमाणीकरण कि तुलन-पत्र में दर्शाये अनुसार, निवेशों, और स्टाकों और शेयरों की गणना कैसे की गई है, तथा इस प्रकार दर्शाये गये मूल्यों के साथ तुलना के प्रयोजन के लिए उनके बाजार मूल्य का पता कैसे लगाया गया है।

(12)संविभागों के तौर पर, अर्थात् स्थावर संपदा (रियल एस्टेट), ऋणों, निवेशों, आदि के तौर पर आस्ति गुणवत्ता और निवेश के कार्यनिष्पादन की समीक्षा।

(13)निम्नलिखित को निर्दिष्ट करते हुए एक दायित्व विवरण कि:

i. इंड एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयोज्य भारतीय लेखांकन मानक, सिद्धांतों और नीतियों का पालन किया गया है, तथा महत्वपूर्ण विचलन, यदि कोई हों, तो उनसे संबंधित उचित स्पष्टीकरण साथ में दिये गये हैं।

ii. प्रबंधन ने लेखांकन नीतियों को अपनाया है तथा उनका उपयोग सुसंगत रूप में किया है तथा निर्णय और अनुमान जो किये हैं वे उचित और विवेकसम्मत हैं जिससे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की परिस्थिति एवं वर्ष के लिए कंपनी राजस्व लेखे और लाभ-हानि लेखे का एक सही और उचित चित्र दिया जा सके।

iii. प्रबंधन ने कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा करने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोक-थाम और उनकी पहचान करने के लिए, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4)/कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रयोज्य उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उचित और यथेष्ट सावधानी बरती है।

iv. प्रबंधन ने इंड एएस वित्तीय विवरण कार्यशील संस्था (गोइंग कन्सर्न) आधार पर तैयार किये हैं।

v. प्रबंधन ने सुनिश्चित किया है कि व्यवसाय के आकार और स्वरूप के अनुरूप एक आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली विद्यमान है तथा वह प्रभावी ढंग से परिचालन कर रही है।

(14)उन भुगतानों की एक अनुसूची, जो व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों और संस्थाओं को किये गये हैं जिनमें बीमाकर्ता के निदेशक हितबद्ध हैं।

(15)सहायक संस्थाओं, सहयोगी संस्थाओं, संयुक्त उद्यमों और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में देशों में घरेलू, सांविधिक, विनियामक और अन्य विधियों के अनुपालन का पुष्टीकरण।

12. कोई अन्य सूचना जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाएगी।

13. इंड एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी

(1) बीमाकर्ता तुलन-पत्र [फार्म इंड एएस - बीएस] और ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण [फार्म इंड एएस - एसओसीई], लाभ और हानि लेखा [शेयरधारकों का खाता] [फार्म इंड एएस – पी&एल] तथा राजस्व लेखा [पालिसीधारकों का खाता] [फार्म इंड एएस - आरए] इस भाग में विनिर्दिष्ट रूप में, अथवा परिस्थितियों के अनुकूल होने के तौर पर उसके निकटतम रूप में तैयार करेगा।

(2) जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाला बीमाकर्ता इंड एएस वित्तीय विवरण और उनमें निहित अनुसूचियाँ निम्नलिखित व्यवसायों के लिए अलग से तैयार करेगाः-

(i) संबद्ध व्यवसाय – (क) जीवन, (ख) पेंशन, (ग) स्वास्थ्य, (घ) अन्य

(ii) असंबद्ध व्यवसाय सहभागी – (क) जीवन, (ख) पेंशन, (ग) स्वास्थ्य, (घ) अन्य

(iii) असंबद्ध व्यवसाय – लाभरहित – (क) जीवन, (ख) पेंशन, (ग) स्वास्थ्य, (घ) अन्य

(iv) भारत के अंदर व्यवसाय और भारत के बाहर व्यवसाय।

(v) विनिर्दिष्ट किया जानेवाला कोई अन्य खंड।

(3) साधारण बीमा व्यवसाय, स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय या पुनर्बीमा व्यवसाय करनेवाला बीमाकर्ता इंड एएस वित्तीय विवरण और उनमें निहित अनुसूचियाँ निम्नलिखित व्यवसायों के लिए अलग से तैयार करेगाः-

i. अग्नि (फायर) व्यवसाय

ii. मरीन बीमा व्यवसाय

iii. विविध बीमा व्यवसाय, अलग अनुसूचियाँ न्यूनतम तौर पर निम्नलिखित के लिए प्रस्तुत की जाएँगीः

(क) मोटर के अंतर्गतः उप-खंड (1) मोटर स्वयं की क्षति और (2) मोटर टीपी, (एकमात्र तौर पर पुनर्बीमा व्यवसाय में सक्रिय बीमाकर्ता उक्त अनुसूची समग्र मोटर स्तर पर तैयार करें)

(ख) स्वास्थ्य के अंतर्गतः उप-खंड (1) स्वास्थ्य, (2) वैयक्तिक दुर्घटना और (3) यात्रा,

(ग) कर्मकार प्रतिकर / नियोक्ता का दायित्व,

(घ) सार्वजनिक / उत्पाद दायित्व,

(ङ) इंजीनियरिंग,

(च) विमानन,

(छ) फ़सल,

(ज) बीमाकर्ता के कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के 10% से अधिक अंशदान करनेवाला कोई भी अन्य उप-खंड अलग से दर्शाया जाएगा।

(झ) अन्य।

(ञ) कोई अन्य खंड जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) खंडों की रिपोर्ट व्यवसाय की श्रेणी के आधार पर, तथा भारत के अंदर और बाहर व्यवसाय किये जाने के आधार पर दी जाए। खंड के विवरण में तदनुरूपी पिछले वर्ष के आंकड़े देते समय, सभी खंडों के लिए आंकड़े भी दिये जाएँ।

(5) बीमाकर्ता इंड एस 7 – "इंड एएस नकदी प्रवाह विवरण" के अंतर्गत दी गई प्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार अलग प्राप्ति और भुगतान खाता तैयार करेगा।

राशि लाख में

तुलन-पत्र [फार्म इंड एएस - बीएस]			
बीमा कंपनी का नाम **पंजीकरण संख्या....** **आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तारीख** …..			
विवरण	**अनुसूची**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
आस्तियाँ			
नकदी और नकदी समकक्ष	1		
निवेश	2		
ऋण	3		
अन्य वित्तीय आस्तियाँ	4		
निवेश संपत्ति	5		
बीमा संविदा आस्तियाँ	6क		
पुनर्बीमा संविदा आस्तियाँ	6ख		
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	7		
सद्भाव	8		
अन्य अमूर्त आस्तियाँ	9		
चालू कर आस्तियाँ			

आस्थगित कर आस्तियाँ			
अन्य आस्तियाँ	10		
विक्रय के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत आस्तियाँ			
कुल आस्तियाँ			
देयताएँ			
बीमा संविदा देयताएँ	6क		
पुनर्बीमा संविदा देयताएँ	6ख		
निवेश संविदा देयताएँ	6ग		
उधार	11		
अन्य वित्तीय देयताएँ	12		
चालू कर देयताएँ			
आस्थगित कर देयताएँ			
अन्य देयताएँ	13		
प्रावधान	14		
कुल देयताएँ (क)			
ईक्विटी			
ईक्विटी			
शेयर पूँजी			
समनुदेशित पूँजी			
ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत अन्य वित्तीय लिखत			
अन्य ईक्विटी			
कुल ईक्विटी (ख)			
कुल देयताएँ और ईक्विटी (ग) = (क) + (ख)			

राशियाँ लाख में

	ईक्विटी में परिवर्तनों का विवरण (फार्म इंड एएस- एसओसीई) (चालू वर्ष)
	बीमा कंपनी का नाम
	पंजीकरण संख्या.....
	पंजीकरण की तारीख .....
	क.ईक्विटी

विवरण	**वर्ष के प्रारंभ में शेष**	**वर्ष के दौरान परिवर्तन**	**वर्ष के अंत में शेष**
शेयर पूँजी			
समनुदेशित पूँजी			
ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत अन्य वित्तीय लिखत			

ख. अन्य ईक्विटी

विवरण	आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	यौगिक वित्तीय लिखतों का ईक्विटी घटक	आरक्षित निधियाँ और अधिशेष			अन्य व्यापक आय के माध्यम से कर्ज लिखत	बीमा वित्त आरक्षित निधि	अन्य व्यापक आय के माध्यम से ईक्विटी लिखत	नकदी प्रवाह बचावों का प्रभावी अंश	पुनर्मूल्यन अधिशेष	विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों का परिवर्तन करने पर विनिमय अंतर	अवितरणयोग्य प्रतिधारित उपार्जन	अन्य	कुल
			आरक्षित पूँजी निधि	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	प्रतिधारित उपार्जन	अन्य रिज़र्व								
वर्ष के प्रारंभ में शेष														
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों/ इंड एएस के अंगीकरण में परिवर्तन														
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनः कथित शेष														
वर्ष के लिए लाभ														
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय														
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय														
लाभांश														
प्रतिधारित उपार्जन में अंतरण														
अन्य परिवर्तनः पुनर्मूल्यन रिज़र्व में घट-बढ़														
पुनर्मूल्यन रिज़र्वों की घट-बढ़ पर आस्थगित कर														
अन्य परिवर्तन (विनिर्दिष्ट करें)														
वर्ष के अंत में शेष														

टिप्पणी:

1: बीमा वित्त रिज़र्व बीमा वित्त आय और व्ययों के पृथक्करण से संबंधित है जहाँ संस्था इसे इंड एएस 117 की अपेक्षाओं के अनुसार अन्य व्यापक आय के अंतर्गत प्रस्तुत करने के विकल्प का चयन करती है।

2: लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर निर्दिष्ट वित्तीय देयताओं के स्वयं के ऋण जोखिम से संबंधित निश्चित लाभ योजनाओं और उचित मूल्य परिवर्तनों के पुनर्मापन का स्वीकरण टिप्पणियों में संबंधित राशियों के साथ ऐसी मदों के अलग प्रकटीकरण से युक्त प्रतिधारित उपार्जन के भाग के रूप में किया जाएगा।

3. अवितरणयोग्य प्रतिधारित उपार्जन - जिसमें आस्थगित कर को घटाकर लाभ निहित हैं, जिसका श्रेय पूर्णतः शेयरधारकों को दिया जा सकता है। इस राशि का वितरण केवल नियुक्त बीमांकक द्वारा संस्तुत रूप में और कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदन किये जाने पर अधिशेष का वास्तविक अंतरण पालिसीधारकों की निधि से शेयरधारकों की निधि में होने पर ही किया जा सकता है।

ईक्विटी में परिवर्तनों का विवरण (फार्म इंड एएस- एसओसीई) (पिछला वर्ष)
बीमा कंपनी का नाम
पंजीकरण संख्या.....
पंजीकरण का तारीख.....
क. **ईक्विटी**

विवरण	**वर्ष के प्रारंभ में शेष**	**वर्ष के दौरान परिवर्तन**	**वर्ष के अंत में शेष**
शेयर पूँजी			
समनुदेशित पूँजी			
ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत अन्य वित्तीय लिखत			

ख. अन्य ईक्विटी

विवरण	**आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि**	**यौगिक वित्तीय लिखतों का ईक्विटी घटक**	**आरक्षित निधियाँ और अधिशेष**				**अन्य व्यापक आय के माध्यम से कर्ज लिखत**	**बीमा वित्त रिज़र्व**	**अन्य व्यापक आय के माध्यम से ईक्विटी लिखत**	**नकदी प्रवाह बचावों का प्रभावी अंश**	**पुनर्मूल्यन अधिशेष**	**विदेशी परिचालन विवरणों का परिवर्तन करने पर विनिमय अंतर**	**अवितरणयोग्य प्रतिधारित उपार्जन**	**अन्य**	**कुल**
			आरक्षित पूँजी	**प्रतिभूति प्रीमियम खाता**	**प्रतिधारित उपार्जन**	**अन्य रिज़र्व**									
वर्ष के प्रारंभ में शेष															
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों/इंड एएस के अंगीकरण में परिवर्तन															

रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनः कथित शेष															
वर्ष के लिए लाभ															
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय															
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय															
लाभांश															
प्रतिधारित उपार्जन में अंतरण															
अन्य परिवर्तनः पुनर्मूल्यन रिज़र्व में घट-बढ़															
पुनर्मूल्यन रिज़र्वों की घट-बढ़ पर आस्थगित कर															
अन्य परिवर्तन (विनिर्दिष्ट करें)															
वर्ष के अंत में शेष															

टिप्पणी:

1: बीमा वित्त रिज़र्व बीमा वित्त आय और व्ययों के पृथक्करण से संबंधित है जहाँ संस्था इसे इंड एएस 117 की अपेक्षाओं के अनुसार अन्य व्यापक आय के अंतर्गत प्रस्तुत करने के विकल्प का चयन करती है।

2: लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर निर्दिष्ट वित्तीय देयताओं के स्वयं के ऋण जोखिम से संबंधित निश्चित लाभ योजनाओं और उचित मूल्य परिवर्तनों के पुनर्मापन का स्वीकरण टिप्पणियों में संबंधित राशियों के साथ ऐसी मदों के अलग प्रकटीकरण से युक्त प्रतिधारित उपार्जन के भाग के रूप में किया जाएगा।

3. अवितरणयोग्य प्रतिधारित उपार्जन - जिसमें आस्थगित कर को घटाकर लाभ निहित हैं, जिसका श्रेय पूर्णतः शेयरधारकों को दिया जा सकता है। इस राशि का वितरण केवल नियुक्त बीमांकक द्वारा संस्तुत रूप में और कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदन किये जाने पर अधिशेष का वास्तविक अंतरण पालिसीधारकों की निधि से शेयरधारकों की निधि में होने पर ही किया जा सकता है।

राशियाँ लाख में

..... (बीमा कंपनी का नाम) के लाभ और हानि का खंडीय विवरण [फार्म इंड एएस- पी&एल]				
..... को समाप्त वर्ष के लिए				
विवरण		**अनुसूची**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
बीमा राजस्व		15		
बीमा सेवा व्यय		16		
पुनर्बीमा संविदाओं से निवल व्यय / आय		16सी		
बीमा सेवा परिणाम	**(ए)**	-		
एफवीटीपीएल पर मापन न की गई वित्तीय आस्तियों पर निवेश राजस्व		17		

अन्य निवेश राजस्व		18		
वित्तीय आस्तियों पर क्षति हानि		19		
निवेश आय				
बीमा संविदाओं से वित्त आय/ व्यय (निवल)		20क		
पुनर्बीमा संविदाओं से वित्त य/ व्यय (निवल)		20ख		
बीमा वित्त आय/ व्यय				
निवेश संविदा देयताओं में घट-बढ़		6ग		
निवल वित्त परिणाम	**(ख)**	-		
निवेश प्रबंध सेवाओं से राजस्व		6ग		
अन्य आय		21		
अन्य व्यय		16		
अन्य वित्त लागतें		22		
अन्य राजस्व / व्यय (निवल)	**(ग)**			
अपवादात्मक मदों से पहले लाभ /(हानि)	**(घ)=(क)+(ख)+(ग)**			
अपवादात्मक मदें				
कर से पहले लाभ / (हानि)				
वर्तमान कर				

आस्थगित कर				
सतत परिचालनों से लाभ/ (हानि)				
बंद परिचालनों से लाभ/ (हानि)				
बंद परिचालनों का कर व्यय				
बंद परिचालनों से लाभ / (हानि) (कर के बाद)				
अवधि के लिए लाभ /(हानि)	**(ङ)**			
अन्य व्यापक आय				
1 (i) मदें जिनका पुनर्वर्गीकरण लाभ या हानि में नहीं किया जाएगा (मदें और राशियाँ विनिर्दिष्ट करें)				
(ii) उन मदों से संबंधित आय कर जिनका पुनर्वर्गीकरण लाभ या हानि में नहीं किया जाएगा				
उप-जोड़				
2 (i) मदें जिनका पुनर्वर्गीकरण लाभ या हानि में किया जाएगा (मदें और राशियाँ विनिर्दिष्ट करें)				
(ii) उन मदों से संबंधित आय कर जिनका पुनर्वर्गीकरण लाभ या हानि में किया जाएगा				
उप-जोड़				
कुल अन्य व्यापक आय	**(च)**			
कुल व्यापक आय	**(छ) = (ङ) + (च)**			
लाभ का अंतरण				
प्रतिधारित अर्जन का अंतरण				

अवितरणयोग्य प्रतिधारित उपार्जन				
उपार्जन प्रति ईक्विटी शेयर (जारी परिचालनों के लिए)				
(1) आधारभूत				
(2) मंदित				
उपार्जन प्रति ईक्विटी शेयर (बंद परिचालनों के लिए)				
(1) आधारभूत				
(2) मंदित				
अवधि के लाभ/(हानि) के लिए उपार्जन प्रति ईक्विटी शेयर (बंद और जारी परिचालनों के लिए)				
(1) आधारभूत				
(2) मंदित				

*** इंड एएस 117 पैरा 86 पुनर्बीमा संविदाओं से आय और व्ययों को एक एकल राशि के रूप में प्रस्तुत करने का विकल्प देता है। यदि संस्था इसे एक एकल राशि के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है, तो इस श्रेणी (लाइन) की मद का उपयोग किया जा सकता है। यदि संस्था अलग से प्रस्तुत करना चाहती है, तो प्रस्तुतीकरण अनुसूची 16ग में इंड एएस 117 के पैरा 86(क), (ख) और (ग) के अनुसार करना होगा।*

राशियाँ लाख में

प्राप्ति और भुगतान खाता (इंड एएस नकदी प्रवाह विवरण) **..... को समाप्त वर्ष के लिए**		
बीमा कंपनी का नाम..... पंजीकरण संख्या..... आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तारीख.....		
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाहः		
अग्रिम प्राप्तियों सहित, पालिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम		
अन्य प्राप्तियाँ (विनिर्दिष्ट करें)		
कमीशनों और दावों को घटाकर, पुनर्बीमाकर्ताओं को भुगतान		
दावा वसूली को घटाकर, सह-बीमाकर्ताओं को भुगतान		
दावों का भुगतान		
कमीशन और दलाली के भुगतान		
अन्य परिचालन व्ययों के भुगतान		
प्रारंभिक और पूर्व-परिचालन व्यय		
जमाराशियाँ, अग्रिम और स्टाफ ऋण		
प्रदत्त आय-कर (निवल)		
प्रदत्त वस्तु और सेवा कर		
अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)		
असाधारण मदों से पहले नकदी प्रवाह		
असाधारण परिचालनों से नकदी प्रवाह		

परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह		
निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाहः		
अचल आस्तियों की खरीद		
अचल आस्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि		
निवेशों की खरीद		
संवितरित ऋण		
निवेशों की बिक्री		
प्राप्त चुकौतियाँ		
प्राप्त किराया/ब्याज/ लाभांश		
मुद्रा बाजार लिखतों में और तरल म्युचुअल फंडों में निवेश (निवल)(क)		
निवेशों से संबंधित व्यय		
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह		
वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाहः		
शेयर पूँजी के निर्गम से प्राप्त राशि		
उधार से प्राप्त राशि		
उधार की चुकौती		
प्रदत्त ब्याज/लाभांश		
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
वित्तपोषण कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह		
नकदी और नकदी समतुल्यों पर विदेशी मुद्रा का प्रभाव, निवल		
नकदी और नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि		
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		

टिप्पणी: इंड एएस 7 (इंड एएस 7 के अनुसार प्रस्तुत किया जाए (केवल प्रत्यक्ष पद्धति से)

(क) म्युचुअल फंडों में निवेश जहाँ इनका उपयोग निवेश के लिए लंबित अस्थायी साधनों (पार्किंग वेहिकल्स) के रूप में किया जाता है, वहाँ निर्दिष्ट किया जाए (निवल)।

राशियाँ लाख में

..... (बीमा कंपनी का नाम) के लाभ और हानि का खंडीय विवरण										
..... को समाप्त वर्ष के लिए										
विवरण		**अनुसूची**	**चालू वर्ष**				**पिछला वर्ष**			
			खंड	**खंड**	**... .**	**कुल**	**खंड**	**खंड**	**...**	**कुल**
बीमा राजस्व		15								
बीमा सेवा व्यय		16								
पुनर्बीमा संविदाओं से निवल व्यय/ आय		16ग								
बीमा सेवा परिणाम	**(क)**									

एफवीटीपीएल पर मापन न की गई वित्तीय आस्तियों पर निवेश राजस्व		17								
अन्य निवेश राजस्व		18								
वित्तीय आस्तियों पर क्षति हानि		19								
निवेश आय										
बीमा संविदाओं से वित्त आय / व्यय (निवल)		20क								
पुनर्बीमा संविदाओं से वित्त आय / व्यय (निवल)		20ख								
बीमा वित्त आय / व्यय										
निवेश संविदा देयताओं में घट-बढ़		6ग								
निवल वित्त परिणाम	**(ख)**									
निवेश प्रबंध सेवाओं से राजस्व		6ग								
अन्य आय		21								
अन्य व्यय		16								
अन्य वित्त लागतें		22								
अन्य राजस्व/व्यय (निवल)	**(ग)**									
अपवादामक मदों से पहले लाभ /(हानि)	**(घ)=(क) +(ख)+(ग)**									
अपवादात्मक मदें										
कर से पहले लाभ / (हानि)										
वर्तमान कर										
आस्थगित कर										
निरंतर परिचालनों से लाभ/ (हानि)										
बंद परिचालनों से लाभ/ (हानि)										
बंद परिचालनों का कर व्यय										
बंद परिचालनों से लाभ / (हानि) (कर के बाद)										
अवधि के लिए लाभ/(हानि)	**(ङ)**									
अन्य व्यापक आय										
1 (i) मदें जिनका पुनर्वर्गीकरण लाभ या हानि में नहीं किया जाएगा (मदें और राशियाँ विनिर्दिष्ट करें)										
(ii) उन मदों से संबंधित आय-कर जिनका पुनर्वर्गीकरण लाभ या हानि में नहीं किया जाएगा										
उप-जोड़										

2 (i) मदें जिनका पुनर्वर्गीकरण लाभ या हानि में किया जाएगा (मदें और राशियाँ विनिर्दिष्ट करें)										
(ii) उन मदों से संबंधित आय-कर जिनका पुनर्वर्गीकरण लाभ या हानि में किया जाएगा										
उप-जोड़										
कुल अन्य व्यापक आय	**(च)**									
कुल व्यापक आय	**(छ) = (ङ) + (च)**									
लाभ का अंतरण										
प्रतिधारित उपार्जन में अंतरण										
अवितरणयोग्य प्रतिधारित उपार्जन										

राशियाँ लाख में

.....(बीमा कंपनी का नाम) का राजस्व लेखा [फार्म इंड एएस - आरए]				
.....को समाप्त वर्ष के लिए				
विवरण		**अनुसूची**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
			पालिसीधारक	**पालिसीधारक**
बीमा राजस्व		15		
बीमा सेवा व्यय		16		
पुनर्बीमा संविदाओं से निवल व्यय/ आय		16ग		
बीमा सेवा परिणाम	**(क)**			
एफवीटीपीएल पर मापन न की गई वित्तीय आस्तियों पर निवेश राजस्व		17		
अन्य निवेश आय		18		
वित्तीय आस्तियों पर क्षति हानि		19		
निवेश आय				
बीमा संविदाओं से वित्त आय / व्यय (निवल)		20क		
पुनर्बीमा संविदाओं से वित्त आय / व्यय (निवल)		20ख		
बीमा वित्त आय / व्यय				
निवेश संविदा देयताओं में घट-बढ़		6ग		
निवल वित्त परिणाम	**(ख)**			
निवेश प्रबंध सेवाओं से		6ग		

राजस्व				
अन्य आय		21		
अन्य व्यय		16		
अन्य वित्त लागतें		22		
अन्य राजस्व /व्यय (निवल)	**(ग)**			
कर के पहले राजस्व खाते से लाभ /(हानि)	**(घ)=(क)+(ख)+(ग)**			
वर्तमान कर				
आस्थगित कर				
कर के बाद राजस्व खाते से लाभ /(हानि)	**(ङ)**			
अन्य व्यापक आय				
1 मदें जिनका पुनर्वर्गीकरण लाभ या हानि में नहीं किया जाएगा (मदें और राशियाँ विनिर्दिष्ट करें)				
उप-जोड़				
2 मदें जिनका पुनर्वर्गीकरण लाभ या हानि में किया जाएगा (मदें और राशियाँ विनिर्दिष्ट करें)				
उप-जोड़				
कुल अन्य व्यापक आय	**(च)**			
कुल व्यापक आय	**(छ) = (ङ) + (च)**			
लाभ का अंतरण				
प्रतिधारित उपार्जन में अंतरण				
अवितरणयोग्य प्रतिधारित उपार्जन				

राशियाँ लाख में
तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची 1: नकदी और नकदी समतुल्य

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
नकदी (चेकों और ड्राफ्टों सहित)		
जमाराशियों और चालू खातों में बैंक शेष		
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
कुल नकदी और नकदी समतुल्य		
नकदी और नकदी समतुल्य		
- भारत में		

- भारत के बाहर		
कुल		

टिप्पणीः नकदी और नकदी समतुल्यों में शामिल हैं, प्रत्यक्ष सहभागिता लक्षणों से युक्त बीमा संविदाओं की अंतर्निहित मदों के प्रति रु. ..... (उचित मूल्य रु....) की राशियाँ।

राशियाँ लाख में

अनुसूची 2: निवेश (चालू वर्ष)

विवरण	**पालिसीधारक**								**अदावी राशियों के समर्थक निवेश**	**शेयर धारक**	**कुल**
	समर्थक बीमा संविदाएँ				**समर्थक निवेश संविदाएँ**						
	प्रत्यक्ष सहभागी		**प्रत्यक्ष सहभागी को छोड़कर अन्य**	**कुल**	**संबद्ध**	**असंबद्ध**	**विवेकपूर्ण सहभागिता लक्षणों से युक्त निवेश संविदाएँ**	**कुल**			
	संबद्ध व्यवसाय	**अन्य**									
भाग I											
भारत में											
(1) सरकारी प्रतिभूतियाँ											
(2) कर्ज प्रतिभूतियाँ											
(3) ईक्विटी लिखत											
(4) म्युचुअल फंड											
(5) सहायक संस्थाएँ, सहयोगी संस्थाएँ और संयुक्त उद्यम											
(6) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)											
कुल (क)											
भारत के बाहर											
(1) सरकारी प्रतिभूतियाँ											
(2) कर्ज प्रतिभूतियाँ											
(3) ईक्विटी लिखत											
(4) म्युचुअल फंड											
(5) सहायक संस्थाएँ, सहयोगी संस्थाएँ और संयुक्त उद्यम											
(6) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)											
कुल (ख)											

कुल निवेश (भाग I) (ग)= (क)+(ख)											
भाग II: मापन का आधार											
(1) परिशोधित लागत पर (सकल)											
: घटाएँ : क्षति हानि											
निवल परिशोधित लागत											
(2) अन्य व्यापक आय – कर्ज के माध्यम से उचित मूल्य पर											
(3) अन्य व्यापक आय – ईक्विटी के माध्यम से उचित मूल्य पर											
(4) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट											
(5) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर											
(6) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)											
घटाएँ : क्षति हानि											
अन्य (निवल)											
कुल (भाग II)											

भाग III: उपचित ब्याज उपर्युक्त में शामिल किया गया											
(1) परिशोधित लागत पर											
(2) अन्य व्यापक आय के											

माध्यम से उचित मूल्य पर											
(3) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट											
(4) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर											
(5) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)											
कुल (भाग III)											

अनुसूची 2: निवेश (पिछला वर्ष)

विवरण	**पालिसीधारक**								**अदावी राशियों के समर्थक निवेश**	**शेयरधारक**	**कुल**
	समर्थक बीमा संविदाएँ				**समर्थक निवेश संविदाएँ**						
	प्रत्यक्ष सहभागी		**प्रत्यक्ष सहभागी को छोड़कर अन्य**	**कुल**	**संबद्ध**	**असंबद्ध**	**विवेकपूर्ण सहभागिता लक्षणों से युक्त निवेश संविदाएँ**	**कुल**			
	संबद्ध व्यवसाय	**अन्य**									
भाग I											
भारत में											
(1) सरकारी प्रतिभूतियाँ											
(2) कर्ज प्रतिभूतियाँ											
(3) ईक्विटी लिखत											
(4) म्युचुअल फंड											
(5) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)											
कुल (क)											
भारत के बाहर											
(1) सरकारी प्रतिभूतियाँ											
(2) कर्ज प्रतिभूतियाँ											
(3) ईक्विटी लिखत											
(4) म्युचुअल फंड											
(5) सहायक संस्थाएँ, सहयोगी संस्थाएँ और संयुक्त उद्यम											
(6) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)											
कुल (ख)											
कुल निवेश (भाग											

I) (ग)= (क)+(ख)											
भाग II: मापन का आधार											
(1) परिशोधित लागत पर (सकल)											
घटाएँ : क्षति हानि											
निवल परिशोधित लागत											
(2) अन्य व्यापक आय – कर्ज के माध्यम से उचित मूल्य पर											
(3) अन्य व्यापक आय – ईक्विटी के माध्यम से उचित मूल्य पर											
(4) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट											
(5) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर											
(6) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)											
घटाएँ : क्षति हानि											
अन्य (निवल)											
कुल (भाग II)											
भाक III: उपचित ब्याज उपर्युक्त में शामिल किया गया											
(1) परिशोधित लागत पर											
(2) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर											
(3) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट											
(4) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर											
(5) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)											
कुल (भाग III)											

राशियाँ लाख में

अनुसूची 3: ऋण

विवरण	चालू वर्ष						पिछला वर्ष					
	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर				कुल	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर				कुल
		अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट	लाभ या हानि के माध्यम से	उप-जोड़			अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट	लाभ या हानि के माध्यम से	उप-जोड़	
प्रतिभूति वार वर्गीकरण												
जमानती (क)												
क) संपत्ति के बंधक पर												
i) भारत में												
ii) भारत के बाहर												
ख) शेयरों, बांडों, सरकारी प्रतिभूतियों, आदि पर												
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)												
गैर-जमानती (ख)												
सकल (ग)=(क)+(ख)												
घटाएँ: क्षति हानि												
कुल निवल ऋण												
उधारकर्ता-वार वर्गीकरण												
भारत में												
(क)केन्द्र और राज्य सरकारें												
(ख)बैंक और वित्तीय संस्थाएँ												
(ग)सहायक संस्थाएँ, सहयोगी संस्थाएँ और संयुक्त उद्यम												
(घ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)												
सकल												
घटाएँ : क्षति हानि												
निवल ऋण (घ)												
भारत के बाहर												
(क) केन्द्र और राज्य सरकारें												
(ख) बैंक और वित्तीय संस्थाएँ												
(ग) सहायक संस्थाएँ, सहयोगी संस्थाएँ और संयुक्त उद्यम												
(घ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)												
सकल												
घटाएँ : क्षति हानि												
निवल ऋण (ङ)												
कुल निवल ऋण												

(घ) + (ङ)												

टिप्पणी: इस टिप्पणी में बीमा संविदाओं के आधार पर ऋण शामिल नहीं हैं जिनका लेखांकन इंड एएस 117 के अंतर्गत किया जाना चाहिए।

राशियाँ लाख में

अनुसूची 4 : अन्य वित्तीय आस्तियाँ

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव्स) प्राप्य लाभांश किराया प्राप्य राशियाँ निवेशों के लिए आवेदन राशि बीमाकर्ताओं से प्राप्य राशि (सह-बीमा व्यवस्थाओं के अंतर्गत) बीमा एजेंटों, बीमा मध्यवर्तियों से प्राप्य राशि अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
कुल		

टिप्पणी:

(i): व्युत्पन्नियों के प्रकटीकरण में व्युत्पन्नियों के प्रकारों को विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता है, अर्थात् मुद्रा वायदा, ब्याज दर अदला-बदली (स्वैप), इन प्रकटीकरणों के साथ कि क्या ये नकदी प्रवाह बचावों के लिए, ब्याज दर बचावों के लिए, उचित मूल्य बचावों के लिए हैं और/या अनिर्दिष्ट व्युत्पन्नियों के लिए हैं।

(ii): अन्य वित्तीय आस्तियों में शामिल हैं, प्रत्यक्ष सहभागी लक्षणों से युक्त बीमा संविदाओं की अंतर्निहित मदों के लिए रु,..... (उचित मूल्य रु.....) की राशियाँ।

राशियाँ लाख में

अनुसूची 5: निवेश संपत्ति

विवरण	**पालिसीधारक (I)**		**पालिसीधारक (II)**		**कुल (III) = (I) + (II)**	
	चालू वर्ष	**पिछला वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**

भूमि						
वर्ष के प्रारंभ में						
परिवर्धन						
निपटान						
विक्रय से /विक्रय हेतु धारित करने के लिए पुनर्वर्गीकरण						
उचित मूल्य परिवर्तन						
अन्य समायोजन (विनिर्दिष्ट करें)						
वर्ष के अंत में						
वर्ष के प्रारंभ में संचित क्षति						
निपटान						
क्षति/ (क्षति का उलटाव)						
विक्रय से/ विक्रय हेतु धारित करने के लिए पुनर्वर्गीकरण						
अन्य समायोजन (विनिर्दिष्ट करें)						
वर्ष के अंत में संचित क्षति						
वर्ष के अंत में भूमि की निवल रखाव राशि (क)						
भवन						
वर्ष के प्रारंभ में						
परिवर्धन						
निपटान						
विक्रय से/ विक्रय हेतु धारित करने के लिए पुनर्वर्गीकरण						
उचित मूल्य परिवर्तन						
अन्य समायोजन (विनिर्दिष्ट करें)						
वर्ष के अंत में						
वर्ष के प्रारंभ में संचित मूल्यह्रास और क्षति						
वर्ष के लिए मूल्यह्रास						
निपटान						

क्षति/(क्षति का उलटाव)						
विक्रय से/विक्रय हेतु धारित करने के लिए पुनर्वर्गीकरण						
अन्य समायोजन (विनिर्दिष्ट करें)						
वर्ष के अंत में संचित मूल्यह्रास और क्षति						
वर्ष के अंत में भवनों की निवल रखाव राशि (ख)						
निर्माणाधीन निवेश संपत्ति (ग)						
कुल (घ = (क) + (ख) + (ग)						

राशियाँ लाख में

अनुसूची 6: बीमा संविदाएँ आस्तियाँ/देयताएँ - सारांश

विवरण	**चालू वर्ष**		**पिछला वर्ष**	
	आस्तियाँ	**देयताएँ**	**आस्तियाँ**	**देयताएँ**
बीमा संविदाएँ				
पुनर्बीमा संविदाएँ				

टिप्पणी: बीमा संविदाओं और पुनर्बीमा संविदाओं के संबंध में देयताएँ व्यवसाय की प्रत्येक श्रेणी या खंड के लिए प्रस्तुत की जाएँगी।

राशियाँ लाख में

अनुसूची 6क.1: पीएए के अंतर्गत मापन न की गई बीमा संविदाएँ : प्रत्येक श्रेणी या खंड के लिए रखाव राशियों में घट-बढ़

शेष कवरेज और उपगत दावों के द्वारा विश्लेषण

खंड का नाम: _____

विवरण	**चालू वर्ष**				**पिछला वर्ष**			
	शेष कवरेज के लिए देयता/आस्ति		**उपगत दावों के लिए देयता**	**कुल**	**शेष कवरेज के लिए देयता/आस्ति**		**उपगत दावों के लिए देयता**	**कुल**
	हानि घटक को छोड़कर	**हानि घटक**			**हानि घटक को छोड़कर**	**हानि घटक**		

प्रारंभिक आस्तियाँ								
प्रारंभिक देयताएँ								
निवल प्रारंभिक शेष								
लाभ या हानि और ओसीआई में परिवर्तन								
बीमा राजस्व								
i) आशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण के अंतर्गत संविदाएँ								
ii) उचित मूल्य दृष्टिकोण के अंतर्गत संविदाएँ								
iii) अन्य संविदाएँ								
बीमा सेवा व्यय								
उपगत दावे और अन्य बीमा सेवा व्यय								
बीमा अधिग्रहण नकदी प्रवाहों का परिशोधन								
दुर्वह संविदाओं संबंधी हानियाँ और हानियों का उलटाव								
उपगत दावों के लिए देयताओं में समायोजन								
बीमा सेवा परिणाम								
बीमा संविदाओं से वित्त आय / व्यय (निवल)								
i) अन्य व्यापक आय के माध्यम से								
ii) लाभ और हानि के माध्यम से								
विनिमय दरों में घट-बढ़ का प्रभाव								
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)								
लाभ या हानि और ओसीआई में कुल परिवर्तन								
निवेश घटक								
नकदी प्रवाह								
प्राप्त प्रीमियम								
प्रदत्त दावे और अन्य बीमा सेवा व्यय (निवेश घटकों सहित)								
बीमा अधिग्रहण नकदी प्रवाह								
कुल नकदी प्रवाह								
अन्य - नकदीतर मदें (विनिर्दिष्ट करें)								
निवल अंतिम शेष								
अंतिम आस्तियाँ								
अंतिम देयताएँ								
निवल अंतिम शेष								

राशियाँ लाख में

अनुसूची 6क.2: पीएए के अंतर्गत मापन की गई बीमा संविदाएँ: प्रत्येक श्रेणी अथवा खंड के लिए रखाव राशियों में घट-बढ़

शेष कवरेज और उपगत दावों के द्वारा विश्लेषण

खंड का नामः _____

विवरण	**चालू वर्ष**					**पिछला वर्ष**				
	शेष कवरेज के लिए देयता/आस्ति		**उपगत दावों के लिए देयता**		**कुल**	**शेष कवरेज के लिए देयता/आस्ति**		**उपगत दावों के लिए देयता**		**कुल**
	हानि घटक को छोड़कर	**हानि घटक**	**भावी नकदी प्रवाहों के पीवी का अनुमान**	**गैर-वित्तीय जोखिम के लिए जोखिम समायोजन**		**हानि घटक को छोड़कर**	**हानि घटक**	**भावी नकदी प्रवाहों के पीवी का अनुमान**	**गैर-वित्तीय जोखिम के लिए जोखिम समायोजन**	
प्रारंभिक आस्तियाँ										
प्रारंभिक देयताएँ										
निवल प्रारंभिक शेष										
लाभ या हानि और ओसीआई में परिवर्तन										
बीमा राजस्व										
i) आशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण के अंतर्गत संविदाएँ										
ii) उचित मूल्य दृष्टिकोण के अंतर्गत संविदाएँ										
iii) अन्य संविदाएँ										
बीमा सेवा व्यय										
उपगत दावे और अन्य बीमा सेवा व्यय										
बीमा अधिग्रहण नकदी प्रवाहों का परिशोधन										

उपगत दावों के लिए देयताओं में समायोजन										
बीमा सेवा परिणाम										
बीमा संविदाओं से वित्त आय/व्यय (निवल)										
i) अन्य व्यापक आय के माध्यम से										
ii) लाभ और हानि के माध्यम से										
विनिमय दरों में घट-बढ़ का प्रभाव										
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)										
लाभ या हानि और ओसीआई में कुल परिवर्तन										
निवेश घटक										
नकदी प्रवाह										
प्राप्त प्रीमियम										
प्रदत्त दावे और अन्य बीमा सेवा व्यय (निवेश घटकों सहित)										
बीमा अधिग्रहण नकदी प्रवाह										
कुल नकदी प्रवाह										
अन्य – नकदीतर मदें (विनिर्दिष्ट करें)										
निवल अंतिम शेष										
अंतिम आस्तियाँ										
अंतिम देयताएँ										
निवल अंतिम शेष										

राशियाँ लाख में

अनुसूची 6क.3: पीएए के अंतर्गत मापन न की गई बीमा संविदाएँ : प्रत्येक श्रेणी या खंड में रखाव राशियों की घट-बढ़

मापन घटक द्वारा विश्लेषण

खंड का नामः _____

विवरण	**चालू वर्ष**						**पिछला वर्ष**					
	भावी नक दी प्रवा हों के पीवी का अनु मान	**गैर-वित्तीय जोखिम के लिए जोखिम समायोजन**	**सीएसएम**			**कुल**	**भावी नक दी प्रवा हों के पीवी का अनु मान**	**गैर-वित्तीय जोखिम के लिए जोखिम समायोजन**	**सीएसएम**			**कुल**
			आशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण के अंतर्गत संविदाएँ	**उचित मूल्य दृष्टिकोण के अंतर्गत संविदाएँ**	**अन्य संविदाएँ**				**आशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण के अंतर्गत संविदाएँ**	**उचित मूल्य दृष्टिकोण के अंतर्गत संविदाएँ**	**अन्य संविदाएँ**	
प्रारंभिक आस्तियाँ												
प्रारंभिक देयताएँ												
निवल प्रारंभिक शेष												
लाभ या हानि और ओसीआई में परिवर्तन												
परिवर्तन जो वर्तमान सेवाओं से संबंधित हैं												
प्रदत्त सेवाओं के लिए स्वीकृत सीएसएम												
समाप्त जोखिम के लिए गैर-वित्तीय जोखिम हेतु जोखिम समायोजन में परिवर्तन												
अनुभव समायोजन												
परिवर्तन जो भावी सेवाओं से संबंधित हैं												
वर्ष में प्रारंभिक तौर पर स्वीकृत संविदाएँ												
अनुमानों में परिवर्तन जो सीएसएम का समायोजन करते हैं												
अनुमानों में परिवर्तन जो दुर्वह संविदाओं के संबंध में हानियों और हानियों के उलटाव में परिणत होते हैं												
परिवर्तन जो विगत सेवाओं से संबंधित हैं												

उपगत दावों के लिए देयताओं में समायोजन												
बीमा सेवा परिणाम												
बीमा संविदाओं से वित्त आय/व्यय (निवल)												
i) अन्य व्यापक आय के माध्यम से												
ii) लाभ और हानि के माध्यम से												
विनिमय दरों में घट-बढ़ का प्रभाव												
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)												
लाभ या हानि और ओसीआई में कुल परिवर्तन												
निवेश घटक												
नकदी प्रवाह												
प्राप्त प्रीमियम												
प्रदत्त दावे और अन्य बीमा सेवा व्यय (निवेश घटकों सहित)												
बीमा अधिग्रहण नकदी प्रवाह												
कुल नकदी प्रवाह												
अन्य - नकदीतर मदें (विनिर्दिष्ट करें)												
निवल अंतिम शेष												
अंतिम आस्तियाँ												
अंतिम देयताएँ												
निवल अंतिम शेष												

राशियाँ लाख में

अनुसूची 6ख.1: पीएए के अंतर्गत मापन न की गई पुनर्बीमा संविदाएँ : प्रत्येक श्रेणी या खंड के लिए रखाव राशियों में घट-बढ़

शेष कवरेज और उपगत दावों के द्वारा विश्लेषण

खंड का नामः _____

विवरण	**चालू वर्ष**				**पिछला वर्ष**			
	शेष कवरेज के लिए देयता/ आस्ति		**उपगत दावों के लिए देयता/ आस्ति**	**कुल**	**शेष कवरेज के लिए देयता / आस्ति**		**उपगत दावों के लिए देयता/ आस्ति**	**कुल**
	हानि पुनःप्राप्ति घटक को छोड़कर	**हानि पुनःप्राप्ति घटक**			**हानि पुनःप्राप्ति घटक को छोड़कर**	**हानि पुनःप्राप्ति घटक**		

प्रारंभिक आस्तियाँ								
प्रारंभिक देयताएँ								
निवल प्रारंभिक शेष								
लाभ या हानि और ओसीआई में परिवर्तन								
प्रदत्त पुनर्बीमा प्रीमियमों का आबंटन								
पुनर्बीमाकर्ताओं से वसूलीयोग्य राशियाँ								
उपगत दावों और अन्य बीमा सेवा व्ययों के लिए वसूलीयोग्य राशि								
विगत सेवा के संबंध में वसूलीयोग्य राशियों में परिवर्तन								
दुर्वह अंतर्निहित संविदाओं संबंधी हानियों की वसूलियाँ और ऐसी हानियों का उलटाव								
पुनर्बीमाकर्ताओं के अनर्जन जोखिम का प्रभाव								
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)								
पुनर्बीमा संविदाओं से निवल व्यय/आय								
पुनर्बीमा संविदाओं से निवल वित्त व्यय/आय								
विनिमय दरों में घट-बढ़ का प्रभाव								
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)								
लाभ या हानि और ओसीआई में कुल परिवर्तन								
नकदी प्रवाह								
प्रदत्त प्रीमियम								
प्राप्त राशियाँ								
कुल नकदी प्रवाह								
अन्य – नकदीतर मदें (विनिर्दिष्ट करें)								
निवल अंतिम शेष								
अंतिम आस्तियाँ								
अंतिम देयताएँ								
निवल अंतिम शेष								

राशियाँ लाख में

अनुसूची 6ख.2: पीएए के अंतर्गत मापन की गई पुनर्बीमा संविदाएँ : प्रत्येक श्रेणी या खंड के लिए रखाव राशियों में घट-बढ़

शेष कवरेज और उपगत दावों के द्वारा विश्लेषण

खंड का नाम : _____

विवरण	चालू वर्ष					पिछला वर्ष				
	शेष कवरेज के लिए देयता/ आस्ति		उपगत दावों के लिए देयता/ आस्ति		कुल	शेष कवरेज के लिए देयता/ आस्ति		उपगत दावों के लिए देयता/ आस्ति		कुल
	हानि पुनःप्राप्ति के घटक को छोड़कर	हानि पुनःप्राप्ति घटक	भावी नकदी प्रवाहों के पीवी का अनुमान	गैर-वित्तीय जोखिम के लिए जोखिम समायोजन		हानि पुनःप्राप्ति घटक को छोड़कर	हानि पुनःप्राप्ति घटक	भावी नकदी प्रवाहों के पीवी का अनुमान	गैर-वित्तीय जोखिम के लिए जोखिम समायोजन	
प्रारंभिक आस्तियाँ										
प्रारंभिक देयताएँ										
निवल प्रारंभिक शेष										
लाभ या हानि और ओसीआई में परिवर्तन										
प्रदत्त पुनर्बीमा प्रीमियमों का आबंटन										
पुनर्बीमाकर्ताओं से वसूलीयोग्य राशियाँ										
उपगत दावों और अन्य बीमा सेवा व्ययों के लिए वसूलीयोग्य राशि										
विगत सेवा से संबंधित वसूलीयोग्य राशियों में परिवर्तन										
दुर्वह अंतर्निहित संविदाओं संबंधी हानियों की वसूलियाँ और ऐसी हानियों का उलटाव										
पुनर्बीमाकर्ताओं के अनर्जन जोखिम का प्रभाव										
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)										
पुनर्बीमा संविदाओं से निवल व्यय/ आय										
पुनर्बीमा संविदाओं से निवल वित्त व्यय / आय										
विनिमय दरों में घट-बढ़ का प्रभाव										
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)										
लाभ या हानि और ओसीआई में कुल परिवर्तन										
नकदी प्रवाह										
प्रदत्त प्रीमियम										
प्राप्त राशियाँ										
कुल नकदी प्रवाह										
अन्य – नकदीतर मदें (विनिर्दिष्ट करें)										
निवल अंतिम शेष										
अंतिम आस्तियाँ										
अंतिम देयताएँ										

निवल अंतिम शेष											

राशियाँ लाख में

अनुसूची 6ख.3: पीएए के अंतर्गत मापन न की गई पुनर्बीमा संविदाएँ : प्रत्येक श्रेणी या खंड के लिए रखाव राशियों में घट-बढ़

मापन घटक द्वारा विश्लेषण

खंड का नाम: _____

विवरण	**चालू वर्ष**						**पिछला वर्ष**					
			सीएसएम						**सीएसएम**			
	भावी नकदी प्रवाहों के पीवी का अनुमान	**गैर-वित्तीय जोखिम के लिए जोखिम समायोजन**	**आशोधित पूर्व व्यापी दृष्टिकोण के अंतर्गत संविदाएँ**	**उचित मूल्य दृष्टिकोण के अंतर्गत संविदाएँ**	**अन्य संविदाएँ**	**कुल**	**भावी नकदी प्रवाहों के पीवी का अनुमान**	**गैर-वित्तीय जोखिम के लिए जोखिम समायोजन**	**आशोधित पूर्व व्यापी दृष्टिकोण के अंतर्गत संविदाएँ**	**उचित मूल्य दृष्टिकोण के अंतर्गत संविदाएँ**	**अन्य संविदाएँ**	**कुल**
प्रारंभिक आस्तियाँ												
प्रारंभिक देयताएँ												
निवल प्रारंभिक शेष												
लाभ या हानि और ओसीआई में परिवर्तन												
परिवर्तन जो वर्तमान सेवाओं से संबंधित हैं												
उक्त अवधि के लिए स्वीकृत सीएसएम												
उक्त अवधि के लिए जोखिम समायोजन												
अनुभव समायोजन												
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)												
परिवर्तन जो भावी सेवाओं से संबंधित हैं												
वर्ष में प्रारंभिक तौर पर स्वीकृत संविदाएँ												
अनुमानों में परिवर्तन जो सीएसएम में समायोजन करते हैं												
अनुमानों में परिवर्तन जो दुर्वह संविदाओं के संबंध में हानियों और हानियों के उलटाव में परिणत होते हैं												
परिवर्तन जो विगत सेवाओं से संबंधित हैं												

उपगत दावों के लिए देयताओं में समायोजन												
पुनर्बीमाकर्ताओं के अनर्जन जोखिम का प्रभाव												
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)												
पुनर्बीमा संविदाओं से निवल व्यय/आय												
पुनर्बीमा संविदाओं से निवल वित्त व्यय / आय												
i) अन्य व्यापक आय के माध्यम से												
ii) लाभ और हानि के माध्यम से												
विनिमय दरों में घट-बढ़ का प्रभाव												
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)												
लाभ या हानि और ओसीआई में कुल परिवर्तन												
नकदी प्रवाह												
प्रदत्त प्रीमियम												
प्राप्त राशियाँ												
कुल नकदी प्रवाह												
अन्य - नकदीतर मदें (विनिर्दिष्ट करें)												
निवल अंतिम शेष												
अंतिम आस्तियाँ												
अंतिम देयताएँ												
निवल अंतिम शेष												

राशियाँ लाख में

अनुसूची 6.1: पीएए के अंतर्गत मापन न की गई बीमा और पुनर्बीमा संविदाएँ : प्रत्येक श्रेणी या खंड के लिए वर्ष में प्रारंभिक तौर पर स्वीकृत संविदाओं का प्रभाव

खंड का नामः _____

चालू वर्ष	**पिछला वर्ष**

विवरण	अधिग्रहीत व्यवसाय को छोड़कर संविदाएँ			अधिग्रहीत व्यवसाय के अंतर्गत संविदाएँ			अधिग्रहीत व्यवसाय को छोड़कर संविदाएँ			अधिग्रहीत व्यवसाय के अंतर्गत संविदाएँ		
	लाभप्रद संविदाएँ	दुर्वह संविदाएँ	कुल	लाभप्रद संविदाएँ	दुर्वह संविदाएँ	कुल	लाभप्रद संविदाएँ	दुर्वह संविदाएँ	कुल	लाभप्रद संविदाएँ	दुर्वह संविदाएँ	कुल
बीमा अधिग्रहण नकदी प्रवाह												
देय दावे और अन्य बीमा सेवा व्यय												
नकदी बहिर्वाहों के वर्तमान मूल्य के अनुमान												
नकदी अंतर्वाहों के वर्तमान मूल्य के अनुमान												
गैर-वित्तीय जोखिम के लिए जोखिम समायोजन												
सीएसएम												
प्रारंभिक स्वीकरण पर स्वीकृत हानियाँ												
वर्ष के दौरान धारित नई पुनर्बीमा संविदाएँ												
नकदी अंतर्वाहों के वर्तमान मूल्य के अनुमान												
नकदी बहिर्वाहों के वर्तमान मूल्य के अनुमान												
गैर-वित्तीय जोखिम के लिए जोखिम समायोजन												

सीएसएम												
कुल												

राशियाँ लाख में

अनुसूची 6.2: दावा विकास (दस वर्षों के लिए दिया जाए) (जीवन बीमा व्यवसाय को छोड़कर अन्य के लिए) (इंड एएस 117 के पैरा 130 के अनुसार)

खंड का नामः _____

विवरण	**10 से अधिक**	**सीवाई (-)10**	**सीवाई (-)9**	**सीवाई (-)8**	**सीवाई (-)7**	**सीवाई (-)6**	**सीवाई (-)5**	**सीवाई (-)4**	**सीवाई (-)3**	**सीवाई (-)2**	**सीवाई (-)1**	**चालू वर्ष (सीवाई)**	**कुल**
डिस्काउंट रहित संचयी दावों के अनुमान													
दुर्घटना वर्ष के अंत में													
एक वर्ष के बाद													
दो वर्ष के बाद													
तीन वर्ष के बाद													
चार वर्ष के बाद													
पाँच वर्ष के बाद													
छह वर्ष के बाद													
सात वर्ष के बाद													
आठ वर्ष के बाद													
नौ वर्ष के बाद													
दस वर्ष के बाद													
प्रदत्त संचयी दावे													
देयताएँ – दुर्घटना वर्ष विगत दस वर्ष													
देयताएँ – विगत दस वर्ष से पूर्व दुर्घटना वर्ष													
डिस्काउंटिंग का प्रभाव													
उपगत दावों के लिए देयताएँ तुलन-पत्र में शामिल की गई हैं (ईक्विटी में परिवर्तनों के विवरण सहित)													

राशियाँ लाख में

अनुसूची 6गः निवेश संविदाओं संबंधी देयताएँ

खंड का नामः _____

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
प्रारंभिक शेष		
राशियाँ लाभ या हानि में और ओसीआई* में स्वीकृत		
अंतर्निहित पर निवेश प्रतिलाभ		
प्रबंध शुल्क की कटौती की गई		
विनिमय दरों में कोई भी उतार-चढ़ाव		
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
उप-जोड़ (क)		
नकदी प्रवाहः		
प्राप्त प्रीमियम/ अंशदान		
प्रदत्त लाभ		
उप-जोड़ (ख)		
अंतिम शेष		

* उक्त मदों का प्रकटीकरण जैसा लागू हो, लाभ या हानि और ओसीआई के अंतर्गत अलग से किया जाना चाहिए।

टिप्पणीः

1. निवेश संविदाओं में घट-बढ़ (लाभ या हानि) अंतर्निहित पर निवेश प्रतिलाभ के समान होगी। निवेश प्रबंध सेवाओं (लाभ या हानि) से राजस्व कटौती किये गये प्रबंध शुल्क के समान होगा।

2. विवेकपूर्ण सहभागिता लक्षणों से युक्त निवेश संविदाएँ 'पीएए दृष्टिकोण के अंतर्गत मापन न की गई बीमा संविदाओ के लिए निर्धारित रूप में उसी फार्मेट में अलग से प्रस्तुत की जाएँगी। '

राशियाँ लाख में

अनुसूची 7: संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

विवरण	**भूमि**	**भवन**	**उपस्कर**	**फर्नीचर और जुड़नार**	**वाहन**	**अन्य (विनिर्दिष्ट करें)**	**कुल**

	पूर्ण स्वामित्व से युक्त	स्वामी ने डीपीएफ के साथ बीमा संविदा के समर्थन से संपत्ति पर कब्जा किया	उपयोग का अधिकार पट्टे के अधीन	पूर्ण स्वामित्व से युक्त	स्वामी ने डीपीएफ के साथ बीमा संविदा के समर्थन से संपत्ति पर कब्जा किया	उपयोग का अधिकार पट्टे के अधीन	स्वाधिकृत	उपयोग का अधिकार पट्टे के अधीन	स्वाधिकृत	उपयोग का अधिकार पट्टे के अधीन	स्वाधिकृत	उपयोग का अधिकार पट्टे के अधीन	स्वाधिकृत	उपयोग का अधिकार पट्टे के अधीन	पूर्ण स्वामित्व से युक्त /स्वाधिकृत	उपयोग का अधिकार पट्टे के अधीन	स्वामी ने डीपीएफ के साथ बीमा संविदा के समर्थन से संपत्ति पर कब्जा किया	कुल
चालू वर्ष																			
वर्ष के प्रारंभ में लागत या उचित मूल्य पर																			
परिवर्धन																			
पुनर्मूल्यन समायोजन, यदि कोई हो																			
निपटान																			
विक्रय से/विक्रय हेतु धारित करने के लिए पुनर्वर्गीकरण																			
अन्य समायोजन (विनिर्दिष्ट करें)																			
वर्ष के अंत में लागत या उचित मूल्य पर																			
वर्ष के प्रारंभ में संचित मूल्यह्रास और क्षति																			
वर्ष के लिए मूल्यह्रास																			
निपटान																			
क्षति/क्षति का																			

(उलटाव)																		
विक्रय से/विक्रय हेतु धारित करने के लिए पुनर्वर्गीकरण																		
अन्य समायोजन (विनिर्दिष्ट करें)																		
वर्ष की समाप्ति पर संचित मूल्यह्रास और क्षति																		
वर्ष के अंत में निवल रखाव राशि (क)																		
पूँजीगत आस्तियों के लिए अग्रिमों सहित, चालू पूँजीगत कार्य (ख)																		
कुल(ग) = (क) + (ख)																		
पिछला वर्ष																		
वर्ष के प्रारंभ में लागत या उचित मूल्य पर																		
परिवर्धन																		
पुनर्मूल्यन समाधान, यदि कोई हो																		
निपटान																		
विक्रय से/विक्रय हेतु धारित करने के लिए																		
अन्य समायोजन (विनिर्दिष्ट करें)																		
वर्ष के																		

अंत में लागत या उचित मूल्य पर																		
वर्ष के प्रारंभ में संचित मूल्यह्रास और क्षति																		
वर्ष के लिए मूल्यह्रास																		
निपटान																		
क्षति/क्षति का उलटाव)																		
विक्रय से/विक्रय हेतु धारित करने के लिए पुनर्मूल्यन																		
अन्य समायोजन (विनिर्दिष्ट करें)																		
वर्ष के अंत में संचित मूल्यह्रास और क्षति																		
वर्ष के अंत में निवल रखाव राशि (क)																		
पूँजीगत आस्तियों के लिए अग्रिमों सहित चालू पूँजीगत कार्य (ख)																		
कुल (ग) = (क) + (ख)																		

राशियाँ लाख में

अनुसूची 8: सद्भाव

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
लागत पर, अवधि के प्रारंभ में		
परिवर्धन		
निपटान		

अन्य समायोजन (विनिर्दिष्ट करें)		
कुल लागत (क)		
संचित क्षतिः		
उक्त अवधि के प्रारंभ में		
परिवर्धन		
निपटान		
अन्य समायोजन (विनिर्दिष्ट करें)		
कुल क्षति (ख)		
निवल रखाव राशि (ग) = (क)+ (ख)		

अनुसूची 9: अन्य अमूर्त आस्तियाँ

विवरण	**चालू वर्ष**			**पिछला वर्ष**		
	साफ्टवेयर	**अन्य**	**कुल**	**साफ्टवेयर**	**अन्य**	**कुल**
उक्त अवधि के प्रारंभ में लागत या उचित मूल्य पर						
परिवर्धन						
निपटान						
अन्य समायोजन (विनिर्दिष्ट करें)						
उक्त अवधि के अंत में लागत या उचित मूल्य पर						
उक्त अवधि के प्रारंभ में संचित परिशोधन और क्षति						
वर्ष के लिए परिशोधन						
निपटान						
क्षति/क्षति का (उलटाव)						
अन्य समायोजन (विनिर्दिष्ट करें)						
कुल परिशोधन और क्षति						
निवल रखाव राशि (क)						
विकासाधीन अमूर्त आस्तियाँ (ख)						
कुल (ग) = (क) + (ख)						

राशियाँ लाख में

अनुसूची 10: अन्य आस्तियाँ

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
अध्यर्पक कंपनियों के पास जमाराशियाँ		
पूर्व-भुगतान		
हाथ में स्टाम्प		

अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
कुल अन्य आस्तियाँ		

राशियाँ लाख में

अनुसूची 11: उधार

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
डिबेंचर/बांड		
बैंकों से उधार		
वित्तीय संस्थाओं से उधार		
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
कुल		

राशियाँ लाख में

अनुसूची 12: अन्य वित्तीय देयताएँ

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
व्युत्पन्नियाँ (डेरिवेटिव्स)		
बीमा एजेंट और बीमा		
मध्यवर्तियों के शेष		
अन्य बीमाकर्ताओं को देय शेषराशियाँ (सह-बीमा व्यवस्थाओं के अंतर्गत)		
अध्यर्पित पुनर्बीमा पर धारित जमाराशियाँ		
विविध लेनदार		
अदावी राशियाँ		
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
कुल		

टिप्पणी :व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) के प्रकटीकरण में व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) के प्रकार अर्थात् वायदा मुद्रा, ब्याज दर अदला-बदली (स्वैप), विनिर्दिष्ट किये जाने की आवश्यकता है, जिसके साथ प्रकटीकरण किये जाने चाहिए कि ये नकदी प्रवाह बचावों के लिए हैं, उचित मूल्य बचावों, और/या अनिर्दिष्ट व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) के लिए।

राशियाँ लाख में

अनुसूची 13: अन्य देयताएँ

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम		
अनाबंटित प्रीमियम*		
प्रस्ताव जमा#		
देय दरें और कर		
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
कुल अन्य देयताएँ		

**अनाबंटित प्रीमियम में उपयोग के लिए लंबित, पालिसीधारकों से प्राप्त राशियाँ और/या अधिक प्राप्त प्रीमियम शामिल है।*

#प्रस्ताव जमा में पालिसीधारकों से प्राप्त वे राशियाँ शामिल हैं जो पालिसी निर्गम के लिए लंबित हैं।

राशियाँ लाख में

अनुसूची 14: प्रावधान

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
निश्चित लाभ योजनाओं के लिए		
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
कुल प्रावधान		

राशियाँ लाख में

लाभ और हानि के विवरण की अनुसूचियाँ

अनुसूची 15: बीमा राजस्व

विवरण	**चालू वर्ष**			**पिछला वर्ष**		
	खंड	**खंड....**	**कुल**	**खंड**	**खंड....**	**कुल**
पीएए के अंतर्गत मापन न की गई संविदाएँ						
शेष कवरेज के लिए देयताओं में परिवर्तनों से संबंधित राशियाँ						
i) प्रदत्त सेवाओं के लिए स्वीकृत सीएसएम						
ii) गैर-वित्तीय जोखिम के लिए जोखिम समायोजन में परिवर्तन						
iii) प्रत्याशित उपगत दावों का निर्मोचन और अन्य बीमा सेवा व्यय						
बीमा अधिग्रहण नकदी प्रवाहों की वसूली						
उप-जोड़						
पीएए के अंतर्गत मापन की गई संविदाएँ						

उक्त अवधि के लिए आबंटित प्रीमियम						
घटाएँ : अधिग्रहण लागतें						
उप-जोड़						
कुल बीमा राजस्व						

राशियाँ लाख में

अनुसूची 16: जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमा सेवा और अन्य व्यय

विवरण		**चालू वर्ष**					**पिछला वर्ष**				
		पालिसीधारक			**शेयरधारक**	**कुल**	**पालिसीधारक**			**शेयरधारक**	**कुल**
		खंड	**खंड....**	**कुल**			**खंड**	**खंड....**	**कुल**		
क)	उपगत दावे										
i)	मृत्यु-संख्या/ मृत्यु दावे										
ii)	परिपक्वता										
iii)	वार्षिकी										
iv)	स्वास्थ्य										
v)	अभ्यर्पण										
vi)	राइडर										
vii)	उत्तरजीविता/आवधिक लाभ										
viii)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)										
ख)	हानियाँ और दुर्वह संविदाओं संबंधी उलटाव										
ग)	उपगत दावों के लिए देयताओं का समायोजन										
घ)	कर्मचारी लाभ व्यय										
ङ)	कमीशन										
च)	अन्य व्यय										
(i)	यात्रा और वाहन										
(ii)	किराया										
(iii)	दरें और कर										
(iv)	मरम्मत और रखरखाव										
(v)	ऊर्जा लागत										
(vi)	मुद्रण और लेखन-सामग्री										
(vii)	संचार व्यय										
(viii)	विधिक और व्यावसायिक शुल्क										
(ix)	लेखा-परीक्षक शुल्क										

(x)	विज्ञापन और प्रचार										
(xi)	बैंक प्रभार										
(xii)	मूल्यह्रास और परिशोधन										
(xiii)	क्षति संबंधी हानियाँ (वित्तीय आस्तियों संबंधी को छोड़कर)										
(xiv)	एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत/निर्दिष्ट वित्तीय लिखतों के लिए अधिग्रहण लागत										
(xv)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)										
(xvi)	विविध व्यय										
	निम्नलिखित के लिए समायोजित										
(क)	बीमा अधिग्रहण नकदी प्रवाहों के कारण मानी गई राशियाँ										
(ख)	बीमा अधिग्रहण नकदी प्रवाहों का परिशोधन										
(ग)	दुर्वह संविदाओं संबंधी हानि घटक का निर्मोचन										
(घ)	निवेश घटक										
(ङ)	निवेश संविदा देयता के माध्यम से स्वीकृत दावे										
	कुल										
	निम्नलिखित के द्वारा निरूपित:										
	-बीमा सेवा व्ययों को आबंटित										
	-अधिग्रहण व्ययों को आबंटित										
	-लागतें जो सीधे बीमा संविदाओं के कारण नहीं हैं										
	- अन्य (विनिर्दिष्ट करें)										

अनुसूची 16: जीवन बीमा व्यवसाय को छोड़कर अन्य के लिए बीमा सेवा और अन्य व्यय

विवरण	**चालू वर्ष**					**पिछला वर्ष**				
	पालिसीधारक			**शेयरधारक**	**कुल**	**पालिसीधारक**			**शेयरधारक**	**कुल**
	खंड	**खंड....**	**कुल**			**खंड**	**खंड....**	**कुल**		

क)	उपगत दावे										
ख)	दुर्वह संविदाओं संबंधी हानियाँ और उलटाव										
ग)	उपगत दावों के लिए देयताओं का समायोजन										
घ)	कर्मचारी लाभ व्यय										
ङ)	कमीशन										
च)	अन्य व्यय										
(i)	यात्रा और वाहन										
(ii)	किराया										
(iii)	दरें और कर										
(iv)	मरम्मत और रखरखाव										
(v)	ऊर्जा लागत										
(vi)	मुद्रण और लेखन-सामग्री										
(vii)	संचार व्यय										
(viii)	विधिक और व्यावसायिक शुल्क										
(ix)	लेखा-परीक्षक शुल्क										
(x)	विज्ञापन और प्रचार										
(xi)	बैंक प्रभार										
(xii)	मूल्यह्रास और परिशोधन										
(xiii)	क्षति संबंधी हानियाँ (वित्तीय आस्तियों से संबंधित को छोड़कर)										
(xiv)	एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत/निर्दिष्ट वित्तीय लिखतों के लिए अधिग्रहण लागत										
(xv)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)										
(xvi)	विविध व्यय										
	निम्नलिखित के लिए समायोजित										
(क)	बीमा अधिग्रहण नकदी प्रवाहों के										

	कारण मानी गई राशियाँ										
(ख)	बीमा अधिग्रहण नकदी प्रवाहों का परिशोधन										
(ग)	दुर्वह संविदाओं संबंधी हानि घटक का उन्मोचन										
(घ)	निवेश घटक										
(ङ)	निवेश संविदा देयता के माध्यम से स्वीकृत दावे										
	कुल										
	निम्नलिखित के द्वारा निरूपित:										
	-बीमा सेवा व्यय										
	-अधिग्रहण व्ययों को आबंटित										
	-प्रत्यक्ष रूप से बीमा संविदाओं के कारण न मानी गई लागतें										
	- अन्य (विनिर्दिष्ट करें)										

राशि लाख में

टिप्पणी 16क: बीमा अधिग्रहण नकदी प्रवाहों के लिए आस्तियों का विश्लेषण
(इंड एएस 117 के पैरा 105क और 105ख के अनुसार)

विवरण	**चालू वर्ष**			**पिछला वर्ष**		
	खंड	**खंड...**	**कुल**	**खंड**	**खंड...**	**कुल**
बीमा संविदा आस्तियों में प्रस्तुत प्रारंभिक शेष						
बीमा संविदा देयताओं में प्रस्तुत प्रारंभिक शेष						
कुल प्रारंभिक शेष						
व्यावसायिक संयोजनों के माध्यम से अधिग्रहण						
वर्ष के दौरान प्रदत्त बीमा अधिग्रहण नकदी प्रवाहों के लिए स्वीकृत आस्तियाँ						
बीमा संविदाओं के समूहों के प्रारंभिक स्वीकरण पर अस्वीकृत राशियाँ						
वर्ष के दौरान स्वीकार की गई क्षति हानियाँ						
पूर्व अवधि में स्वीकृत क्षति मूल्यों का उलटाव						

विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव का प्रभाव						
बीमा अधिग्रहण नकदी-प्रवाहों के लिए आस्ति हेतु कुल अंतिम शेष						

राशियाँ लाख में

अनुसूची 16खः बीमा अधिग्रहण नकदी प्रवाह आस्ति के अस्वीकरण का प्रत्याशित समय
(इंड एएस 117 के पैरा 105ख के अनुसार)

वर्ष के अंत में प्रत्याशित अस्वीकरण (डीरिकग्निशन) तक वर्षों की संख्या	**चालू वर्ष**			**पिछला वर्ष**		
	खंड	**खंड...**	**कुल**	**खंड**	**खंड...**	**कुल**
1						
2						
3						
4						
5						
6						
…						
….						
कुल						

राशियाँ लाख में

अनुसूची 16गः पुनर्बीमा संविदाओं से निवल व्यय/आय

विवरण	**चालू वर्ष**			**पिछला वर्ष**		
	खंड	**खंड...**	**कुल**	**खंड**	**खंड...**	**कुल**
पीएए के अंतर्गत मापन न की गई संविदाएँ						
पुनर्बीमा प्रीमियमों का आबंटन						
उपगत दावों और अन्य बीमा सेवा व्ययों के लिए वसूलीयोग्य प्रत्याशित राशि						
उक्त अवधि के लिए स्वीकृत जोखिम समायोजन						
उक्त अवधि के लिए स्वीकृत सीएसएम						
अनुभव समायोजन						
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
पुनर्बीमाकर्ताओं से वसूलीयोग्य राशियाँ						
उपगत दावों और अन्य बीमा सेवा व्ययों के लिए वसूलीयोग्य राशि						
विगत सेवा के संबंध में वसूलीयोग्य राशियों में परिवर्तन						
दुर्वह अंतर्निहित संविदाओं संबंधी हानियों की वसूलियाँ और ऐसी हानियों का उलटाव						
पुनर्बीमाकर्ताओं के अनर्जन जोखिम के परिवर्तन का प्रभाव	-	-	-	-	-	-

अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
धारित पुनर्बीमा संविदाओं से निवल व्यय/आय						
पीएए के अंतर्गत मापन की गई संविदाएँ						
पुनर्बीमा प्रीमियमों का आबंटन						
पुनर्बीमाकर्ताओं से वसूलीयोग्य राशियाँ						
उपगत दावों और अन्य बीमा सेवा व्ययों के लिए वसूलीयोग्य राशि						
पिछली सेवा के संबंध में वसूलीयोग्य राशियों में परिवर्तन						
दुर्वह अंतर्निहित संविदाओं संबंधी हानियों की वसूलियाँ और ऐसी हानियों का उलटाव						
पुनर्बीमाकर्ताओं के अनर्जन जोखिम के परिवर्तन का प्रभाव						
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
धारित पुनर्बीमा संविदाओं से निवल व्यय/आय						
धारित पुनर्बीमा संविदाओं से कुल निवल व्यय/ आय						

राशियाँ लाख में

अनुसूची 17 : एफवीटीपीएल पर मापन न की गई वित्तीय आस्तियों पर निवेश राजस्व

खंड का नामः _____

विवरण		**चालू वर्ष**						**पिछला वर्ष**					
		परिशोधित लागत		**ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य**		**कुल**		**परिशोधित लागत**		**ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य**		**कुल**	
		पालिसीधारक	**शेयरधारक**	**पालिसीधारक**	**शेयर धारक**	**पालिसीधारक**	**शेयरधारक**	**पालिसीधारक**	**शेयर धारक**	**पालिसीधारक**	**शेयर धारक**	**पालिसीधारक**	**शेयर धारक**
क)	**निम्नलिखित पर ब्याज**												
i.	सरकारी प्रतिभूतियाँ												
ii.	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के पास जमाराशियाँ												
iii.	डिबेंचर / बांड												
iv.	अन्य कर्ज प्रतिभूतियाँ												
	उप-जोड़												
ख)	**निम्नलिखित के अस्वीकरण से उत्पन्न होनेवाले अभिलाभ/ हानियाँ**												
i.	सरकारी प्रतिभूतियाँ												
ii.	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के पास												

	जमाराशियाँ												
iii.	डिबेंचर/ बांड												
iv.	ईक्विटी												
v.	व्युत्पन्नियाँ (डेरिवेटिव्स)												
vi.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)												
	उप-जोड़												
ग)	लाभांश आय												
घ)	वित्तीय आस्तियों पर विदेशी मुद्रा अभिलाभ												
e)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)												
	कुल												

राशियाँ लाख में

अनुसूची 18: अन्य निवेश राजस्व

खंड का नामः _____

विवरण		**चालू वर्ष**						**पिछला वर्ष**					
		एफवीटीपीएल पर		**एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट**		**कुल**		**एफवीटीपीएल पर**		**एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट**		**कुल**	
		पालिसी धारक	**शेयर धारक**	**पालिसी धारक**	**शेयरधारक**	**पालिसीधारक**	**शेयरधारक**	**पालिसीधारक**	**शेयर धारक**	**पालिसीधारक**	**शेयर धारक**	**पालिसी धारक**	**शेयर धारक**
क)	**निम्नलिखित पर ब्याज**												
i.	सरकारी प्रतिभूतियाँ												
ii.	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के पास जमाराशियाँ												
iii.	डिबेंचर/ बांड												
iv.	अन्य कर्ज प्रतिभूतियाँ												
	उप-जोड़												
ख)	**निम्नलिखित के अस्वीकरण से उत्पन्न होनेवाले अभिलाभ/हानियाँ:**												
i.	सरकारी प्रतिभूतियाँ												
ii.	बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं के पास जमाराशियाँ												
iii.	डिबेंचर/ बांड												
iv.	अन्य कर्ज प्रतिभूतियाँ												
v.	ईक्विटी												
vi.	म्युचुअल फंड												
vii.	व्युत्पन्नियाँ (डेरिवेटिव्स)												
viii.	निवेश संपत्ति												
ix.	मालिक ने प्रत्यक्ष सहभागी लक्षणों से युक्त बीमा संविदाओं के समर्थन से संपत्ति का कब्जा किया												

x.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)												
	उप-जोड़												
ग)	**उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल अभिलाभ/(हानि)***												
i.	सरकारी प्रतिभूतियाँ												
ii.	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के पास जमाराशियाँ												
iii.	डिबेंचर/ बांड												
iv.	अन्य कर्ज प्रतिभूतियाँ												
v.	ईक्विटी												
vi.	म्युचुअल फंड												
vii.	व्युत्पन्नियाँ (डेरिवेटिव्स)												
viii.	निवेश संपत्ति												
ix.	मालिक ने प्रत्यक्ष सहभागी लक्षणों से युक्त संविदाओं के समर्थन से संपत्ति का कब्जा किया												
x.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)												
	उप-जोड़												
घ)	लाभांश आय												
ङ)	निवेश संपत्ति से किराये की आय												
च)	वित्तीय आस्तियों पर विदेशी मुद्रा अभिलाभ												
छ)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)												
	कुल												

राशियाँ लाख में

अनुसूची 19: वित्तीय आस्तियों की क्षति

खंड का नामः _____

विवरण	**चालू वर्ष**								**पिछला वर्ष**							
	परिशोधित लागत		**ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य**		**कोई अन्य आधार**		**कुल**		**परिशोधित लागत**		**ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य**		**कोई अन्य आधार**		**कुल**	
	पालिसी धारक	**शेयर धारक**	**पालिसी धारक**	**शेयर धारक**	**पालिसी धारक**	**शेयर धारक**	**पालिसी धारक**	**शेयर धारक**	**पालिसी धारक**	**शेयर धारक**	**पालिकी धारक**	**शेयर धारक**	**पालिसी धारक**	**शेयर धारक**	**पालिसी धारक**	**शेयर धारक**
i)सरकारी प्रतिभूतियाँ ii)बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं के पास																

जमारा शियाँ iii)डिबेंच र/बांड iv)अन्य कर्ज प्रतिभूति याँ v)अन्य (विनिर्दि ष्ट करें)																
वित्तीय लिखतों पर कुल क्षति																

राशियाँ लाख में

अनुसूची 20क: बीमा संविदाओं से वित्त आय/व्यय

विवरण	**चालू वर्ष**			**पिछला वर्ष**		
	खंड	**खंड...**	**कुल**	**खंड**	**खंड...**	**कुल**
प्रत्यक्ष सहभागी लक्षणों से युक्त बीमा संविदाओं की अंतर्निहित मदों के उचित मूल्य में परिवर्तन						
जोड़ा गया ब्याज						
ब्याज दरों और अन्य वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तनों का प्रभाव						
वर्तमान दरों पर अनुमानों में परिवर्तनों के मापन और प्रारंभिक स्वीकरण संबंधी दरों पर सीएसएम के समायोजन का प्रभाव						
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
बीमा संविदाओं से कुल वित्त आय /व्यय						

टिप्पणी: यदि किसी संस्था ने पैरा 88(ख) और 89(ख) में लेखांकन नीति का चयन किया है, तो वह ओसीआई में स्वीकृत राशियों का अलग से प्रकटीकरण करेगी।

राशियाँ लाख में

अनुसूची 20 ख: पुनर्बीमा संविदाओं से वित्त आय / व्यय

विवरण	**चालू वर्ष**			**पिछला वर्ष**		
	खंड	**खंड...**	**कुल**	**खंड**	**खंड...**	**कुल**
जोड़ा गया ब्याज						
ब्याज दरों और अन्य वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तनों का प्रभाव						
वर्तमान दरों पर अनुमानों में परिवर्तनों के मापन और प्रारंभिक स्वीकरण संबंधी दरों पर सीएसएम के समायोजन का प्रभाव						
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						

पुनर्बीमा संविदाओं से कुल वित्त आय / व्यय						

टिप्पणी: यदि किसी संस्था ने पैरा 88(ख) और 89(ख) में लेखांकन नीति का चयन किया है, तो वह ओसीआई में स्वीकृत राशियों का अलग से प्रकटीकरण करेगी।

राशियाँ लाख में

अनुसूची 21: अन्य आय

विवरण	**चालू वर्ष**			**पिछला वर्ष**		
	पालिसीधारक	**शेयरधारक**	**कुल**	**पालिसीधारक**	**शेयरधारक**	**कुल**
बचावों के अप्रभावी अंश पर निवल अभिलाभ/ (हानि)						
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के स्वीकरण को समाप्त करने पर निवल अभिलाभ/(हानि)						
विदेशी मुद्रा लेनदेनों और परिवर्तन पर निवल अभिलाभ या हानि (वित्त लागत के रूप में मानी गई को छोड़कर अन्य) (विनिर्दिष्ट करें)						
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
कुल अन्य आय						

राशियाँ लाख में

अनुसूची 22: वित्त लागत

विवरण	**चालू वर्ष**			**पिछला वर्ष**		
	पालिसीधारक	**शेयरधारक**	**कुल**	**पालिसीधारक**	**शेयरधारक**	**कुल**
परिशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय देयताओं पर ब्याज						
देयता के रूप में माने गये प्रतिदेय अधिमानी शेयरों पर लाभांश						
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
कुल वित्त लागत						

अनुसूची 23: परिपक्वता विश्लेषणः रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष सीएसएम का प्रत्याशित स्वीकरण (इंड एएस 117 के पैरा 109 के अनुसार)

खंड का नामः_____

विवरण	**पूर्वानुमान वर्ष द्वारा स्वीकरण किये जाने के लिए प्रत्याशित सीएसएम की राशि**													
(पुनर्बीमा) बीमा संविदाओं के समूह का वर्णन	**पिछले वर्ष का अंतिम शेष**	**चालू वर्ष का अंतिम शेष**	**पूर्वानु-मान वर्ष 1**	**पूर्वानु-मान वर्ष 2**	**पूर्वानु-मान वर्ष 3**	**पूर्वानु-मान वर्ष 4**	**पूर्वानु-मान वर्ष 5**	**पूर्वानु-मान वर्ष 6**	**पूर्वानु-मान वर्ष 7**	**पूर्वानु-मान वर्ष 8**	**पूर्वानु-मान वर्ष 9**	**पूर्वानु-मान वर्ष 10**	**पूर्वानु-मान वर्ष 10+**	**कुल**
जारी की गई बीमा संविदाएँ														
धारित पुनर्बीमा संविदाएँ														
कुल सीएसएम														

भाग II: लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

1. प्रत्येक बीमाकर्ता के इंड एएस वित्तीय विवरणों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट इस भाग में विनिर्दिष्ट विषयों से संबंधित होगीः

   (1) कि उन्होंने समस्त सूचना और स्पष्टीकरण जो उनकी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार उनकी लेखा-परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे तथा यह कि उन्होंने उन्हें संतोषजनक पाया है;

   (2) क्या बीमाकर्ता के द्वारा उचित लेखा-बहियों का अनुरक्षण किया गया है जहाँ तक उन बहियों की जाँच से प्रतीत होता है;

   (3) क्या उचित विवरणियाँ, चाहे लेखा-परीक्षित हैं या लेखा-परीक्षित नहीं हैं, शाखाओं और अन्य कार्यालयों से प्राप्त की गई हैं तथा क्या वे लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त हैं;

   (4) क्या रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र, ईक्विटी में परिवर्तनों का विवरण, लाभ और हानि खाता, प्राप्ति और भुगतान खाता तथा राजस्व लेखा, खाता बहियों और विवरणियों के अनुसार हैं।

2. लेखा-परीक्षक निम्नलिखित के संबंध में अपना अभिमत व्यक्त करेंगेः

   (1) क्या तुलन-पत्र वित्तीय वर्ष/अवधि के अंत में विद्यमान स्थिति के अनुसार बीमाकर्ता के कार्यों का एक सही और उचित चित्र प्रस्तुत करता है;

   (2) क्या राजस्व लेखा वित्तीय वर्ष/अवधि के लिए राजस्व लेखा के अंतर्गत लाभ/हानि का एक सही और उचित चित्र प्रस्तुत करता है;

   (3) क्या लाभ और हानि खाता वित्तीय वर्ष/अवधि के लिए लाभ या हानि का एक सही और उचित चित्र प्रस्तुत करता है;

(4) क्या प्राप्ति और भुगतान खाता वित्तीय वर्ष/अवधि के लिए प्राप्तियों और भुगतानों का एक सही और उचित चित्र प्रस्तुत करता है;

(5) क्या ईक्विटी में परिवर्तनों का विवरण वित्तीय वर्ष/अवधि के अंत में विद्यमान स्थिति के अनुसार बीमाकर्ता के कार्यों का एक सही और उचित चित्र प्रस्तुत करता है;

(6) उपर्युक्त (1) पर बताये गये इंड एएस वित्तीय विवरण बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार प्रयोज्य सीमा तक और इस प्रकार अपेक्षित तरीके से तैयार किये गये हैं;

(7) निवेशों का मूल्यांकन उक्त अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार किया गया है;

(8) बीमाकर्ता के द्वारा चयन की गई लेखांकन नीतियाँ उपयुक्त हैं तथा प्रयोज्य इंड एएस का तथा इन विनियमों अथवा इस उद्देश्य से जारी किये गये किसी आदेश या निदेश में यथानिर्धारित लेखांकन सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं।

3. लेखा-परीक्षक यह भी प्रमाणित करेंगे कि:

(1) उन्होंने प्रबंधन रिपोर्ट की समीक्षा की है तथा इंड एएस विवरणों में कोई सुस्पष्ट त्रुटि अथवा महत्वपूर्ण असंगतियाँ नहीं हैं।

(2) बीमाकर्ता ने प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पंजीकरण की शर्तों का अनुपालन किया है।

4. लेखा-परीक्षकों के द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र [जो तुलन-पत्र के संबंध में दिये जाने के लिए विधि के द्वारा अपेक्षित किसी भी अन्य प्रमाणपत्र या रिपोर्ट के अतिरिक्त होगा] यह प्रमाणित करते हुए कि-

(1) उन्होंने बीमाकर्ता के ऋणों, प्रत्यावर्तनों और जीवन हितों (जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में) तथा निवेशों से संबंधित नकदी शेषों और प्रतिभूतियों का सत्यापन किया है;

(2) किस सीमा तक, यदि कोई हो, उन्होंने एक न्यासी के रूप में बीमाकर्ता के द्वारा किये गये किन्हीं भी न्यासों से संबंधित निवेशों और लेनदेनों का सत्यापन किया है; तथा

(3) पालिसीधारकों की निधियों की आस्तियों के किसी भी भाग का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग पालिसीधारकों की निधियों के उपयोग और निवेशों से संबंधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए नहीं किया गया है।"

ए आर नित्यानंथम, कार्यकारी निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./801/2025-26]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 30th March, 2026

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers), (Amendment) Regulations, 2026

F. No. IRDAI/Reg/2/216/2026.—In exercise of the powers conferred by clauses (f), (g), (h), (i), (ia), (ib), (y), (z), (za), (zd) and (zab) of sub-section (2) of section 114A, Sections 11, 13, 20, 27, 28, clause (a) of sub-section (3) of section 29, 49, 64V, and 64VA of the Insurance Act, 1938, (4 of 1938) and section 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations to amend IRDAI

(Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, namely:

1. **Short Title and commencement:**

(1) These Regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers), (Amendment) Regulations, 2026

(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the official gazette or 1st April, 2026 whichever is later.

2. **Objectives:** The key objective of these regulations is to ensure that:

(1) The financial statements are prepared and reported in accordance with applicable Indian Accounting standards (Ind AS), principles and policies to provide a true and fair view of state of affairs of the insurer.

3. In Chapter – II after sub regulation (2) in regulation 6 of Insurance Regulatory And Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, the following shall be inserted, namely:-

"(2A) Schedule – IIA: Ind AS Finance Functions"

4. In Chapter – II after regulation 6 of Insurance Regulatory And Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, the following shall be inserted, namely:-

"**6A Power to exercise forbearance for preparation of Ind AS financial statements**

(1) The Competent Authority may, having regard to the preparedness of the insurer, the complexity of transition and such other factors as may be considered relevant, exercise forbearance in respect of insurer who is unable to prepare and present financial statements in compliance with Indian Accounting Standards. Such forbearance may be granted for one year by the Competent Authority:

Provided the request for forbearance shall be made on or before 30th April, 2026.

(2) The Competent Authority may, having regard to the readiness of systems, processes, and governance framework of the insurer, permit such insurer to continue to prepare financial statements in accordance with Schedule - II to these regulations for one year, subject to submission of a Board-approved action plan detailing preparations for implementation of Ind AS.

(3) The insurer shall furnish, as part of such action plan, a detailed roadmap for transition to Ind AS, including monthly milestones, timelines for system and data readiness, status of actuarial and finance function preparedness and the governance framework to ensure timely implementation.

(4) During the period for which forbearance is granted, the insurer shall also prepare and submit to the Authority financial information in accordance with Schedule - IIA of these regulations on a quarterly basis.

(5) The grant of forbearance under this regulation shall be subject to submission of monthly progress report of the preparation and the condition that the insurer shall achieve full compliance with Ind AS within one year."

5. In Insurance Regulatory And Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, after Schedule – II, "Schedule – IIA: Ind AS Finance Functions" shall be inserted as under:-

"SCHEDULE – IIA: IND AS FINANCE FUNCTIONS

Part I: Preparation of Ind AS financial statements and management report of all insurers

1. Applicability

(1) This part of regulations shall be applicable to all the insurers including life insurers, general insurers, health insurers and re-insurers.

2. Definitions

(1) "Indian Accounting Standards" or "Ind AS" means the Indian Accounting Standards notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time;

3. Accounting Principles for Preparation of Ind AS Financial Statements:

(1) Applicability of Indian Accounting Standards - Every Balance Sheet, Statement of Changes in Equity, Statement of Profit and Loss and Receipts and Payments Account of an insurer shall be in conformity with the Indian Accounting Standards to the extent applicable to insurers carrying on insurance business.

(2) The minimum disclosure requirements in the Ind AS Financial Statements comprise of:

i. Balance Sheet (Statement of Financial Position)

ii. Statement of Changes in Equity

iii. Statement of Profit and Loss, comprising:

a. Profit or Loss, and

b. Other Comprehensive Income (OCI)

iv. Receipts and Payments Account (Statement of Cash Flows)

v. Revenue Account

vi. Notes to the Ind AS Financial Statements including:

a. Material accounting policies

b. Other explanatory information

(3) Ind AS Financial Statements shall reflect true and fair picture of the financial condition of the insurer.

(4) The Ind AS Financial Statements formats and disclosures required under these Regulations shall be prepared in such form and manner, and in accordance with such formats, as specified and through subsidiary instructions, issued from time to time.

4. Key Policy Positions

Without prejudice to the interests of policyholders, following policy positions shall be adopted to ensure alignment between Ind AS and the Insurance Act, 1938:

(1) **Policyholder and Shareholder Funds**

i. Ind AS Financial Statements (Balance Sheet, Statement of Changes in Equity, Statement of Profit and Loss and Receipts and Payments Account) shall be prepared at the entity level in accordance with Ind AS.

ii. A separate Revenue Account for the Policyholder Fund shall be prepared to comply with Section 11 of the Insurance Act, 1938.

iii. Separate disclosure of Policyholder and Shareholder funds shall be provided through schedules forming part of the Ind AS Financial Statements.

iv. Maintenance of separate accounts for Policyholder and Shareholder funds shall continue as mandated under the Insurance Act, 1938.

(2) **Annual Cohort Requirement**

i. Insurers shall comply with the annual cohort requirement under Ind AS 117, including for participating insurance contracts.

ii. Transition relief, where applicable, shall be applied in accordance with Ind AS 117 provisions.

(3) **Distribution of Surplus**

i. Actuarial surplus determined under Section 49 of the Insurance Act, 1938 shall remain the basis for distribution of surplus to policyholders and shareholders.

ii. Profit recognised under Ind AS 117 is accounting profit for financial reporting purposes and shall not be treated as distributable surplus.

iii. Appropriate disclosures, including reconciliation between actuarial surplus and Ind AS profit, shall be provided to ensure transparency.

5. Parallel Submission during transition phase

(1) During the first two years from the date of implementation or for such period as may be specified by the Competent Authority, every insurer shall furnish for the same reporting period:

i. Financial Statements prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) framework in the form and manner specified in this Schedule - IIA; and

ii. Financial information prepared in accordance with Schedule - II of these regulations, which shall be disclosed on the website of the insurer.

6. Constitution of Joint Expert Group on Ind AS

(1) For the purpose of examining and addressing issues arising in the course of implementation of the Indian Accounting Standards by insurers, a Joint Expert Group may be constituted by the Competent Authority.

(2) The Joint Expert Group may comprise of:

i. Whole time Member (Finance and Investment), IRDAI (Chair)

ii. Two representatives nominated by the Institute of Chartered Accountants of India;

iii. Two representatives nominated by the Institute of Actuaries of India;

iv. One representative nominated by the Securities and Exchange Board of India;

v. One representative nominated by the National Financial Reporting Authority;

vi. Such other person as may be necessary; and

vii. Head of Department (Finance and Investment), IRDAI shall act as the Member-Convener.

(3) The functioning and procedural aspects of the Joint Expert Group shall be as specified by the Competent Authority from time to time.

(4) The Joint Expert Group shall remain in force for a period of two years or for such extended period as may be specified by the Competent Authority.

7. Independent Validation:

(1) During the first year of implementation of the Indian Accounting Standards, or for such period as may be specified by the Competent Authority, every insurer shall obtain independent validation of process adopted in implementation of Ind AS. The scope and manner of such validation may be specified by the Competent Authority.

8. Preparation of Ind AS Financial Statements for Segregated Funds (Linked Business):

(1) All insurers carrying on life insurance business shall prepare separate set of Ind AS Financial Statements, for each segregated fund of the linked businesses and these shall be annexed with Ind AS Financial Statements.

(2) Segregated funds represent funds maintained in accounts to meet specific investment objectives of policyholders who bear the investment risk. Investment income/gains and losses generally accrue directly to the policyholders. The assets of each account are segregated and are not subject to claims that arise out of any other business of the insurer.

9. Disclosures Forming Part of Ind AS Financial Statements

A. In respect of material accounting policies and judgements in applying Ind AS including methodologies and key assumptions, the following disclosures shall be made in the notes to accounts in accordance with the requirements of the Ind AS:

(1) Identification and scope of Ind AS 117

(2) Combination of insurance contracts

(3) Separating components from an insurance contract

(4) Level of aggregation

(5) Recognition

(6) Measurement of insurance contracts

i. Fulfilment cash-flows

ii. Discount Rate

iii. Risk adjustment

iv. Contractual Service Margin

v. Contract boundary

vi. Coverage units

vii. Others (to be specified)

(7) Onerous Contracts

(8) Premium allocation approach

(9) Insurance acquisition cash flows

(10) Reinsurance Contracts held

i. Recognition

ii. Measurement

iii. Premium allocation approach

iv. Others (to be specified)

(11) Investment contracts with discretionary participation features

(12) Modification and derecognition

(13) Insurance finance income or expenses

(14) Risks arising from contracts within the scope of Ind AS 117, along with sensitivity analysis,

i. Insurance risk

ii. Financial risk including credit risk, liquidity risk & market risk

iii. Concentrations of risk

(15) Financial Instruments

i. Classification

ii. Measurement

iii. Impairment

iv. Derivatives

v. Others (to be specified)

(16) Leases

(17) Operating expenses relating to insurance business: basis of allocation and apportionment of expenditure to various segments of business

(18) Transition approach

(19) Taxation including impact due to change in Accounting Policy/ Adoption of Ind AS

(20) Any departure from the accounting policies required by Ind AS shall be separately disclosed with reasons for such departure.

(21) Any changes in the assumptions from the previous Ind AS Financial Statements shall be specified along with the justification and its financial impact.

(22) All other applicable accounting policies and disclosures as required by Ind AS shall be disclosed.

B. The following information shall also be disclosed for Life insurance business by way of notes:

(1) Contingent Liabilities:

i. Partly-paid up investments

ii. Underwriting commitments outstanding

iii. Claims, other than those under policies, not acknowledged as debts

iv. Statutory demands/liabilities in dispute, not provided for

v. Reinsurance Obligations to the extent not provided for in accounts

vi. Others (to be specified).

(2) Encumbrances to assets of the company in and outside India.

(3) Commitments made and outstanding for Loans, Investments and Fixed Assets.

(4) Claims settled and remaining unpaid for a period of more than six months as on the Balance Sheet date.

(5) Value of contracts in relation to investments, for:

i. Purchases where deliveries are pending;

ii. Sales where payments are overdue.

(6) Computation of managerial remuneration.

(7) Historical costs of those investments valued on fair value basis.

(8) Basis of revaluation of investment property.

(9) Provisions made for policy cancellations during free look period in current year and previous year duly certified by the appointed actuary.

(10) Disclosure that contributions made by the shareholders to the Policyholders' A/c are irreversible in nature, and shall not be recouped to the shareholders at any point of time in future with reference to

the general meeting of the insurer at which such prior approval of the shareholders has been obtained.

(11) Investments made in accordance with any statutory requirement should be disclosed separately together with its amount, nature, security and any special rights in and outside India.

(12) Segregation into performing/non-performing investments for purpose of income recognition as per the directions, if any, issued by the Competent Authority.

(13) Assets to the extent required to be deposited under local laws or otherwise encumbered in or outside India.

(14) Basis of amortisation of debt securities.

(15) Percentage of business sector wise.

(16) Bases of allocation of investments and income thereon between Policy-holders' Account and Share-holders' Account.

(17) Disclosure of policy and principles for provisioning for policy cancellations during free look period, based on assumptions and experience, duly certified by the appointed actuary.

(18) Unclaimed amount including related income – treatment and presentation.

(19) Any other information as may be specified.

C. The following information shall be disclosed for General insurance business, Health insurance business and Re-insurance business by way of notes -

(1) Contingent Liabilities:

i. Partly-paid up investments

ii. Underwriting commitments outstanding

iii. Claims, other than those under policies, not acknowledged as debts

iv. Statutory demands/liabilities in dispute, not provided for

v. Reinsurance obligations to the extent not provided for in accounts

vi. Others (to be specified)

(2) Encumbrances to assets of the company in and outside India.

(3) Commitments made and outstanding for Loans, Investments and Fixed Assets.

(4) Claims, less reinsurance, paid to claimants in/outside India.

(5) Actuarial assumptions for determination of claim liabilities in the case of claims where the claims payment period exceeds four years.

(6) Ageing of claims - distinguishing between claims outstanding for more than six months and other claims.

(7) Premiums, less reinsurance, written from business in/outside India.

(8) Value of contracts in relation to investments, for-

i. Purchases where deliveries are pending;

ii. Sales where payments are overdue

(9) Operating expenses relating to insurance business: basis of allocation and apportionment of expenditure to various classes of business.

(10) Historical costs of those investments valued on fair value basis.

(11) Computation of managerial remuneration.

(12) Basis of amortisation of debt securities.

(13) Fair value of investment property and the basis therefor.

(14) Claims settled and remaining unpaid for a period of more than six months as on the Balance Sheet date.

(15) Provisions made for policy cancellations during free look period in current year and previous year duly certified by the appointed actuary.

(16) Investments made in accordance with any statutory requirement should be disclosed separately together with its amount, nature, security and any special rights in and outside India.

(17) Segregation into performing/non-performing investments for purpose of income recognition as per the directions, if any, issued by the Competent Authority.

(18) Percentage of business sector-wise.

(19) Basis of allocation of Interest, Dividends and Rent between Revenue Account and Profit and Loss Account.

(20) Disclosure of policy and principles for provisioning for policy cancellations during free look period, based on assumptions and experience, duly certified by the appointed actuary.

(21) Any other information as may be specified.

10. General Instructions for Preparation of Ind AS Financial Statements

(1) The corresponding amounts for the immediate preceding financial year for all items shown in the Balance Sheet, Revenue Account, Profit and Loss Account and Receipts and Payments Account shall be given.

(2) The figures in the Ind AS Financial Statements may be rounded off to the nearest Lakhs.

(3) Interest, dividends and rentals receivable in connection with an investment should be stated at gross amount, the amount of income tax deducted at source should be included under "advance taxes paid" and taxes deducted at source.

(4) The company shall make provisions for damages under lawsuits where the management is of the opinion that the award may go against the insurer.

(5) Extent of risk retained and re-insured shall be separately disclosed.

(6) All insurers are required to maintain separate investment accounts for the shareholders and the policy holders and the income/ losses accrued / capital gains/losses on the investments is to be credited /debited to the Revenue Account/ Profit & Loss Account, as the case may be.

(7) Each item of the Ind AS Financial Statements shall be cross-referenced to any related information in the notes to accounts.

(8) Ind AS Financial Statements shall disclose all 'material' items, i.e. the items which could, individually or collectively, influence the economic decisions that users make on the basis of the Ind AS Financial Statements.

11. Contents of Management Report:

Management report shall be attached to the Ind AS Financial Statements containing, inter alia, the following duly authenticated by the management:

(1) Confirmation regarding the continued validity of the registration granted by the Authority.

(2) Certification that all the dues payable to the statutory authorities have been duly paid.

(3) Confirmation to the effect that the shareholding pattern and any transfer of shares during the year are in accordance with the statutory or regulatory requirements.

(4) Declaration that the management has not directly or indirectly invested outside India the funds of the holders of policies issued in India.

(5) Confirmation that the required solvency margins have been maintained.

(6) Certification to the effect that the values of all the assets have been reviewed on the date of the Balance Sheet and that in his (insurer's) belief the assets set forth in the Balance Sheet are shown in the aggregate at amounts not exceeding their realisable or market value.

(7) Certification to the effect that no part of the life insurance fund has been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) relating to the application and investment of the life insurance funds.

(8) Disclosure with regard to the overall risk exposure and strategy adopted to mitigate the same.

(9) Operations in other countries, if any, with a separate statement giving the management's estimate of country risk and exposure risk and the hedging strategy adopted.

(10) Ageing of claims indicating the trends in average claim settlement time during the preceding five years.

(11) Certification to the effect as to how the values, as shown in the Balance Sheet, of the investments and stocks and shares have been arrived at, and how the market value thereof has been ascertained for the purpose of comparison with the values so shown.

(12) Review of asset quality and performance of investment in terms of portfolios, i.e., separately in terms of real estate, loans, investments, etc.

(13) A responsibility statement indicating therein that:

i. in the preparation of Ind AS Financial Statements, the applicable Indian Accounting Standards, principles and policies have been followed along with proper explanations relating to material departures, if any;

ii. the management has adopted accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the Profit or Loss under Revenue Account and of the Profit or Loss of the company for the year;

iii. the management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act 1938

(4 of 1938)/Companies Act, 2013, for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

iv. the management has prepared the Ind AS Financial Statements on a going concern basis;

v. the management has ensured that an internal audit system commensurate with the size and nature of the business exists and is operating effectively.

(14) A schedule of payments, which have been made to individuals, firms, companies and organizations in which Directors of the insurer are interested.

(15) Confirmation of compliance with domestic, statutory, regulatory and other laws in the countries in relation to subsidiaries, associates, joint ventures and other arrangements.

(16) Any other information as may be specified.

12. Preparation of Ind AS Financial Statements

(1) An insurer shall prepare the the Balance Sheet [Form Ind AS - BS] and the Statement of Changes in Equity [Form Ind AS - SOCE], Profit and Loss Account [Form Ind AS - P&L] and Revenue Account [Policy-holders' Account] [Form Ind AS - RA] in Forms as specified in this Part, or as near thereto as the circumstances permit.

(2) Insurer carrying on Life insurance business shall prepare the Ind AS Financial Statements and the schedules therein for the under mentioned businesses separately: -

i. Linked Business- (a) Life, (b) Pension, (c) Health, (d) Others

ii. Non-Linked Business Participating- (a) Life, (b) Pension, (c) Health, (iv) Others

iii. Non-Linked Business -Non-Participating- (a) Life, (b) Pension, (c) Health, (d) Others

iv. Business within India and Business outside India.

v. Any other segment as may be specified.

(3) Insurer carrying on General insurance business or Health insurance business or Re-insurance business shall prepare the Ind AS Financial Statements and the schedules therein for the under mentioned businesses separately:-

i. Fire insurance business

ii. Marine insurance business

iii. Miscellaneous insurance business, separate Schedules shall be furnished for the following at the minimum:

(a) Under Motor: sub-segments 1) Motor Own Damage and 2) Motor TP, (Insurers engaged exclusively in Reinsurance business may prepare the schedule at overall Motor level)

(b) Under Health: sub-segments 1) Health, 2) Personal Accident and 3) Travel,

(c) Workmen’s Compensation/ Employer’s liability,

(d) Public/ Product Liability,

(e) Engineering,

(f) Aviation,

(g) Crop,

(h) Any other sub-segment contributing more than 10% of the total gross direct premium of the insurer shall be shown separately.

(i) Others

(j) Any other segment as may be specified.

(4) Segments to be reported on the basis of line of business, and on the basis of business within and outside India. While giving the segment details of corresponding previous year's figures should also be given for all the segments.

(5) An insurer shall prepare separate Receipts and Payments Account in accordance with the Direct Method provided under Ind AS 7 – "Ind AS Cash Flow Statement".

Amounts in lakhs

Balance Sheet [Form Ind AS - BS]			
Name of insurance company **Registration No....** **Date of Registration with IRDAI** …..			
Particulars	**Schedule**	**Current Year**	**Previous Year**
Assets			
Cash and cash equivalents	1		
Investments	2		
Loans	3		
Other Financial Assets	4		
Investment property	5		
Insurance contract assets	6a		
Reinsurance contract assets	6b		
Property, Plant and Equipment	7		
Goodwill	8		
Other Intangible Assets	9		
Current tax assets			

Deferred tax assets			
Other assets	10		
Assets classified as held for sale			
Total Assets			
Liabilities			
Insurance contract liabilities	6a		
Reinsurance contract liabilities	6b		
Investment contract liabilities	6c		
Borrowings	11		
Other Financial liabilities	12		
Current tax liabilities			
Deferred tax liabilities			
Other liabilities	13		
Provisions	14		
Total Liabilities (A)			
Equity			
Equity			
Share Capital			
Assigned Capital			
Other Financial Instruments classified as Equity			
Other Equity			
Total Equity (B)			
Total Liabilities & Equity (C) = (A) + (B)			

Amounts in lakhs

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY [Form Ind AS - SOCE] (Current Year)
Name of insurance company **Registration No.….** **Date of Registration …….**
A. Equity

Particulars	**Balance at the beginning of the year**	**Changes during the year**	**Balance at the end of the year**
Share Capital			
Assigned Capital			
Other Financial Instruments classified as Equity			

B. Other Equity

Particulars	**Share application money pending allotment**	**Equity component of compound financial instruments**	**Reserves and Surplus**				**Debt Instruments through Other Comprehensive Income**	**Insurance Finance Reserve**	**Equity Instruments through Other Comprehensive Income**	**Effective Portion of Cash Flow Hedges**	**Revaluation Surplus**	**Exchange differences on translating the financial statements of foreign operation**	**Non-distributable Retained Earnings**	**Others**	**Total**
			Capital Reserve	**Securities Premium Account**	**Retained Earnings**	**Other Reserves**									
Balance at the beginning of the year															
Changes in accounting policy or prior period errors/ Adoption of Ind AS															
Restated balance at the beginning of the reporting period															
Profit for the year															
Other Comprehensive Income for the year															
Total Comprehensive Income for the year															
Dividends															
Transfer to Retained Earnings															
Other changes:															

Movement in Revaluation Reserve															
Deferred Tax on Revaluation Reserves movement															
Others changes (to be specified)															
Balance at the end of the year															

Note

1: Insurance Finance Reserve relates to disaggregation of insurance finance income and expenses where an entity chooses to present the same under Other Comprehensive Income in accordance with the requirements of Ind AS 117.
2: Remeasurement of defined benefit plans and the fair value changes relating to own credit risk of financial liabilities designated at fair value through profit or loss (FVTPL) shall be recognised as a part of retained earnings with separate disclosure of such items along with the relevant amounts in the notes.

3. Non-distributable Retained Earnings - comprising of profits, net of deferred tax, which is wholly attributable to the shareholders. This amount is only distributable upon the actual transfer of surplus from the policyholders' fund to the shareholder's fund as recommended by the Appointed Actuary and approved by the Board of Directors of the Company.

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY [Form Ind AS - SOCE] (Previous Year)

Name of insurance company
Registration No.….
Date of Registration …….

A. Equity

Particulars	**Balance at the beginning of the year**	**Changes during the year**	**Balance at the end of the year**
Share Capital			
Assigned Capital			
Other Financial Instruments classified as Equity			

B. Other Equity

Particulars	**Share application money pending allotment**	**Equity component of compound financial instruments**	**Reserves and Surplus**				**Debt instruments through Other Comprehensive Income**	**Insurance Finance Reserve**	**Equity Instruments through Other Comprehensive Income**	**Effective Portion of Cash Flow Hedges**	**Revaluation Surplus**	**Exchange differences on translating the financial statements of foreign operation**	**Non-distributable Retained Earnings**	**Others**	**Total**
			Capital Reserve	**Securities Premium Account**	**Retained Earnings**	**Other Reserves**									
Balance at the beginning of the year															
Changes in accounting policy or prior period errors/ Adoption of Ind AS															
Restated balance at the beginning of the reporting period															
Profit for the year															
Other Comprehensive															

Income for the year															
Total Comprehensive Income for the year															
Dividends															
Transfer to Retained Earnings															
Other changes: Movement in Revaluation Reserve															
Deferred Tax on Revaluation Reserves movement															
Others changes (to be specified)															
Balance at the end of the year															

Note

1: Insurance Finance Reserve relates to disaggregation of insurance finance income and expenses where an entity chooses to present the same under Other Comprehensive Income in accordance with the requirements of Ind AS 117.

2: Remeasurement of defined benefit plans and the fair value changes relating to own credit risk of financial liabilities designated at fair value through profit or loss (FVTPL) shall be recognised as a part of retained earnings with separate disclosure of such items along with the relevant amounts in the notes.

3. Non-distributable Retained Earnings - comprising of profits, net of deferred tax, which is wholly attributable to the shareholders. This amount is only distributable upon the actual transfer of surplus from the policyholders' fund to the shareholder's fund as recommended by the Appointed Actuary and approved by the Board of Directors of the Company

Amounts in lakhs

Statement of Profit and Loss of….. (Name of insurance company) [Form Ind AS – P&L]				
for the year ended				
Particulars		**Schedule**	**Current Year**	**Previous Year**
Insurance Revenue		15		
Insurance Service Expenses		16		
Net expenses/income from reinsurance contracts **		16c		
Insurance Service Result	**(A)**			
Investment revenue on financial assets not measured at FVTPL		17		
Other Investment revenue		18		
Impairment loss on financial assets		19		

Investment Income				
Finance income/ expenses from insurance contracts (net)		20a		
Finance income/ expenses from reinsurance contracts (net)		20b		
Insurance Finance Income/Expenses				
Movement in investment contract liabilities		6c		
Net Finance Result	**(B)**			
Revenue from investment management services		6c		
Other income		21		
Other expenses		16		
Other finance costs		22		
Other Revenue/expenses (net)	**(C)**			
Profit /(Loss) before Exceptional Items	**(D)=(A)+(B)+(C)**			
Exceptional Items				
Profit / (Loss) before tax				
Current tax				
Deferred tax				
Profit/ (Loss) from continuing operations				
Profit/ (Loss) from discontinued operations				
Tax expense of discontinued operations				
Profit / (Loss) from discontinued operations (after tax)				
Profit/(loss) for the period	**(E)**			
Other Comprehensive Income				

1 (i) Items that will not be reclassified to profit or loss (specify items and amounts)				
(ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss				
Sub-total				
2 (i) Items that will be reclassified to profit or loss (specify items and amounts)				
(ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss				
Sub-total				
Total Other Comprehensive Income	**(F)**			
Total Comprehensive Income	**(G) = (E) + (F)**			
Tansfer of profit				
Transfer to Retained earning				
Non-distributable Retained Earnings				
Earnings per Equity Share (for continuing operations)				
(1) Basic				
(2) Diluted				
Earnings per Equity Share (for discontinued operations)				
(1) Basic				
(2) Diluted				
Earnings per Equity Share for profit/(loss) of the period (for discontinued and continuing operations)				
(1) Basic				
(2) Diluted				

*** Ind AS 117 para 86 gives an option to present income and expenses from reinsurance contracts as a single amount. In case the entity chooses to present this as a single amount, this line item may be used. If the entity chooses to present separately, then presentation has to be made in the Schedule 16c as per Para 86 (a), (b) and (c) of Ind AS 117*

Amounts in lakhs

Receipts and Payments Account (Ind AS Cash Flow Statement) for the year ended…….		
Name of insurance company…... Registration No.... Date of Registration with IRDAI …..		
Particulars	**Current Year**	**Previous Year**
Cash Flows from the Operating Activities:		
Premium received from policyholders, including advance receipts		
Other receipts (to be specified)		
Payments to the reinsurers, net of commissions and claims		
Payments to co-insurers, net of claims recovery		
Payments of claims		
Payments of commission and brokerage		
Payments of other operating expenses		
Preliminary and pre-operative expenses		
Deposits, advances and staff loans		
Income taxes paid (Net)		
Good & Service tax paid		
Other payments (to be specified)		
Cash flows before extraordinary items		
Cash flow from extraordinary operations		
Net cash flow from operating activities		
Cash Flows from Investing Activities:		
Purchase of fixed assets		
Proceeds from sale of fixed assets		
Purchases of investments		
Loans disbursed		
Sales of investments		
Repayments received		
Rents/Interests/ Dividends received		
Investments in money market instruments and in liquid mutual funds (Net)[(a)]		
Expenses related to investments		
Others (to be specified)		

Net cash flow from investing activities		
Cash flows from financing activities:		
Proceeds from issuance of share capital		
Proceeds from borrowing		
Repayments of borrowing		
Interest/dividends paid		
Others (to be specified)		
Net cash flow from financing activities		
Effect of foreign exchange rates on cash and cash equivalents, net		
Net increase in cash and cash equivalents:		
Cash and cash equivalents at the beginning of the year		
Cash and cash equivalents at the end of the year		

***Note**: To be provided in accordance with Ind AS 7 (Direct Method Only)*

[(a)] Investments in mutual funds where these are used as parking vehicles pending investment are to be indicated (net).

Amounts in lakhs

Segmental Statement of Profit and Loss of…... (Name of insurance company)								
for the year ended								
Particulars		**Schedule**	**Current Year**				**Previous Year**	
			Segment	**Segment**	**….**	**Total**	**Segment**	**Segment**
Insurance Revenue		15						
Insurance Service Expenses		16						
Net expenses/ income from reinsurance contracts		16c						
Insurance Service Result	**(A)**							
Investment revenue on financial assets not measured at FVTPL		17						
Other Investment revenue		18						
Impairment loss on financial assets		19						
Investment Income								
Finance income/ expenses from insurance contracts (net)		20a						
Finance income/ expenses from reinsurance contracts (net)		20b						
Insurance Finance Income/Expenses								
Movement in investment contract liabilities		6c						
Net Finance Result	**(B)**							

Revenue from investment management services		6c						
Other income		21						
Other expenses		16						
Other finance costs		22						
Other Revenue/expenses (net)	**(C)**							
Profit /(Loss) before Exceptional Items	**(D)=(A) +(B)+(C)**							
Exceptional Items								
Profit / (Loss) before tax								
Current tax								
Deferred tax								
Profit/ (Loss) from continuing operations								
Profit/ (Loss) from discontinued operations								
Tax expense of discontinued operations								
Profit / (Loss) from discontinued operations (after tax)								
Profit/(loss) for the period	**(E)**							
Other Comprehensive Income								
1 (i) Items that will not be reclassified to profit or loss (specify items and amounts)								
(ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss								
Sub-total								
2 (i) Items that will be reclassified to profit or loss (specify items and amounts)								
(ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss								
Sub-total								
Total Other Comprehensive Income	**(F)**							
Total Comprehensive Income	**(G) = (E) + (F)**							
Tansfer of profit								
Transfer to Retained earning								
Non-distributable Retained Earnings								

Amounts in lakhs

Revenue Account of…... (Name of insurance company) [Form Ind AS - RA]				
for the year ended				
Particulars		**Schedule**	**Current Year**	**Previous Year**
			Policyholders	**Policyholders**
Insurance Revenue		15		
Insurance Service Expenses		16		
Net expenses/income from reinsurance contracts		16c		
Insurance Service Result	**(A)**			
Investment revenue on financial assets not measured at FVTPL		17		
Other Investment revenue		18		
Impairment loss on financial assets		19		
Investment Income				
Finance income/ expenses from insurance contracts (net)		20a		
Finance income/ expenses from reinsurance contracts (net)		20b		
Insurance Finance Income/Expenses				
Movement in investment contract liabilities		6c		
Net Finance Result	**(B)**			
Revenue from investment management services		6c		
Other income		21		
Other expenses		16		
Other finance costs		22		
Other Revenue/expenses (net)	**(C)**			
Profit /(Loss) from Revenue A/c before tax	**(D)=(A)+(B)+(C)**			
Current tax				
Deferred tax				
Profit /(Loss) from Revenue A/c after tax	**(E)**			
Other Comprehensive Income				
1 Items that will not be reclassified to profit or loss (specify items and amounts)				
Sub-total				
2 Items that will be reclassified to profit or loss (specify items and amounts)				
Sub-total				
Total Other Comprehensive Income	**(F)**			
Total Comprehensive Income	**(G) = (E) + (F)**			

Tansfer of profit				
Transfer to Retained earning				
Non-distributable Retained Earnings				

Amounts in lakhs

Schedules to Balance Sheet

Schedule 1: Cash and Cash equivalents

Particulars	**Current Year**	**Previous Year**
Cash (including cheques and drafts)		
Bank balances in deposits and current accounts		
Others (to be specified)		
Total Cash and Cash equivalents		

Cash and Cash equivalents		
- In India		
- Outside India		
Total		

Note*: Cash and Cash Equivalents include amounts of Rs…….(Fair Value Rs..) towards underlying items of the Insurance Contracts with Direct Participating Features*

Amounts in lakhs

Schedule 2: Investments (Current Year)

Particulars	**Policyholders**								**Investments backing Unclaimed Amounts**	**Shareholders**	**Total**
	Backing Insurance Contracts				**Backing Investment Contracts**						
	Direct Participating		**Other than Direct Participating**	**Total**	**Linked**	**Non-linked**	**Investment contracts with Discretionary Participation Features**	**Total**			
	Linked Business	**Others**									
Part I											
In India											
(1) Government securities											
(2) Debt securities											
(3) Equity instruments											
(4) Mutual funds											
(5)Subsidiaries, associates and joint ventures											

(6) Others (to be specified)											
Total (A)											
Outside India											
(1) Government securities											
(2) Debt securities											
(3) Equity instruments											
(4) Mutual funds											
(5)Subsidiaries, associates and joint ventures											
(6) Others (to be specified)											
Total (B)											
Total Investments (Part I) (C)= (A)+(B)											
Part II: Basis of Measurement											
(1) At Amortised Cost (Gross)											
Less: Impairment Loss											
Net Amortised Cost											
(2) At Fair Value Through Other Comprehensive Income-Debt											
(3) At Fair Value Through Other Comprehensive Income - Equity											
(4) Designated at Fair Value through Profit or Loss											
(5) At Fair Value											

Through Profit or Loss											
(6) Others (to be specified)											
Less: Impairment Loss											
Others (Net)											
Total (Part II)											
Part III: Interest Accrued included in above											
(1) At Amortised Cost											
(2) At Fair Value Through Other Comprehensive Income											
(3) Designated at Fair Value through Profit or Loss											
(4) At Fair Value Through Profit or Loss											
(5) Others (to be specified)											
Total (Part III)											

Schedule 2: Investments (Previous Year)

Particulars	**Policyholders**								**Investments backing Unclaimed Amounts**	**Shareholders**	**Total**
	Backing Insurance Contracts				**Backing Investment Contracts**						
	Direct Participating		**Other than Direct Participating**	**Total**	**Linked**	**Non-linked**	**Investment contracts with Discretionary Participation Features**	**Total**			
	Linked Business	**Others**									
Part I											
In India											
(1) Government securities											
(2) Debt securities											
(3) Equity instruments											

(4) Mutual funds											
(5) Others (to be specified)											
Total (A)											
Outside India											
(1) Government securities											
(2) Debt securities											
(3) Equity instruments											
(4) Mutual funds											
(5) Subsidiaries, associates and joint ventures											
(6) Others (to be specified)											
Total (B)											
Total Investments (Part I) (C)= (A)+(B)											
Part II: Basis of Measurement											
(1) At Amortised Cost (Gross)											
Less: Impairment Loss											
Net Amortised Cost											
(2) At Fair Value Through Other Comprehensive Income- Debt											
(3) At Fair Value Through Other Comprehensive Income - Equity											
(4) Designated at Fair Value through Profit or Loss											

(5) At Fair Value Through Profit or Loss											
(6) Others (to be specified)											
Less: Impairment Loss											
Others (Net)											
Total (Part II)											
Part III: Interest Accrued included in above											
(1) At Amortised Cost											
(2) At Fair Value Through Other Comprehensive Income											
(3) Designated at Fair Value through Profit or Loss											
(4) At Fair Value Through Profit or Loss											
(5) Others (to be specified)											
Total (Part III)											

Amounts in lakhs

Schedule 3: Loans

Particulars	Current Year						Previous Year					
	Amortised cost	At Fair Value				Total	Amortised cost	At Fair Value				Total
		Through Other Comprehensive Income	Designated at Fair Value Through Profit or Loss	Through Profit or Loss	Sub-Total			Through Other Comprehensive Income	Designated at Fair Value Through Profit or Loss	Through Profit or Loss	Sub-Total	
SECURITY WISE CLASSIFICATION												
Secured (A)												
a) On mortgage of property												
i) In India												
ii)Outside India												
b)On Shares, Bonds, Government Securities, etc.												
c) Others (to be specified)												
Unsecured (B)												

Gross (C)=(A)+(B)												
Less: Impairment loss												
Total Net Loans												
BORROWER-WISE CLASSIFICATION												
In India												
(a)Central and State Governments												
(b)Banks and Financial Institutions												
(c)Subsidiaries,Associates and Joint Ventures												
(d) Others (to be specified)												
Gross												
Less: Impairment loss												
Net Loans (D)												
Outside India												
(a) Central and State Governments												
(b) Banks and Financial Institutions												
(c) Subsidiaries, Associates and Joint Ventures												
(d) Others (to be specified)												
Gross												
Less: Impairment Loss												
Net Loans (E)												
Total Net Loans (D) + (E)												

Note*: This note does not cover loans against insurance contracts which are to be accounted for under Ind AS 117*

Amounts in lakhs

Schedule 4: Other Financial Assets

Particulars	**Current Year**	**Previous Year**
Derivatives Dividends Receivable Rent Receivables Application money for investments Due from insurers(under co-insurance arrangements) Due from Insurance agents, Insurance Intermediaries Others(to be specified)		
Total		

Note

(i) Disclosure of Derivatives would need to specify the kinds of derivatives i.e. Currency forwards, Interest Rate swaps, alongwith the disclosures of whether the same are towards cash flow hedges, fair value hedges, and/or undesignated derivatives.

(ii) Other Financial Assets include amounts of Rs…….(Fair Value Rs..) towards underlying items of the insurance contracts with Direct Participating Features

Amounts in lakhs

Schedule 5: Investment Property

Particulars	Policyholders (I)		Shareholders (II)		Total(III) = (I) + (II)	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
LAND						
At the beginning of the year						
Additions						
Disposals						
Reclassification from/to held for sale						
Fair Value changes						
Other adjustments (please specify)						
At the end of the year						
Accumulated impairment as at the beginning of the year						
Disposals						
Impairment/(reversal of impairment)						
Reclassification from/to held for sale						
Other adjustments (please specify)						
Accumulated impairment as at the end of year						
Net carrying amount of Land as at the end of the year (A)						
BUILDINGS						
At the beginning of the year						
Additions						
Disposals						
Reclassification from/to held for sale						
Fair Value changes						

Other adjustments (please specify)						
At the end of the year						
Accumulated depreciation and impairment as at the beginning of the year						
Depreciation for the year						
Disposals						
Impairment/(reversal of impairment)						
Reclassification from/to held for sale						
Other adjustments (please specify)						
Accumulated depreciation and impairment as at the end of year						
Net carrying amount of Buildings as at the end of the year (B)						
Investment Property under construction (C)						
TOTAL (D = (A) + (B) + (C)						

Amounts in lakhs

Schedule 6: Insurance Contracts Assets/Liabilities – Summary

Particulars	**Current Year**		**Previous Year**	
	Assets	**Liabilities**	**Assets**	**Liabilities**
Insurance Contracts				
Re-Insurance Contracts				

Note: *Liabilities in respect of Insurance Contracts and Reinsurance Contracts shall be presented for each class or segment of business.*

Amounts in lakhs

Schedule 6a.1: Insurance Contracts not measured under the PAA: Movements in carrying amounts for each class or segment

Analysis by remaining coverage and incurred claims

Name of Segment: _____

Particulars	**Current Year**				**Previous Year**			
	Liability/asset for remaining coverage		**Liability for Incurred Claims**	**Total**	**Liability/asset for remaining coverage**		**Liability for Incurred Claims**	**Total**
	Excluding loss component	**Loss component**			**Excluding loss component**	**Loss component**		
Opening assets								
Opening liabilities								
Net opening balance								
Changes in profit or loss and OCI								
Insurance revenue								
i) Contracts under the modified retrospective approach								
ii) Contracts under the fair value approach								
iii) Other contracts								
Insurance service expenses								
Incurred claims and other insurance service expenses								
Amortisation of insurance acquisition cash flows								
Losses and reversal of losses on onerous contracts								
Adjustments to								

liabilities for incurred claims								
Insurance service result								
Finance income/expenses from insurance contracts (net)								
i) Through Other Comprehensive Income								
ii) Through Profit and Loss								
Effect of movements in exchange rates								
Others (to be specified)								
Total changes in profit or loss and OCI								
Investment components								
Cash flows								
Premiums received								
Claims and other insurance service expenses paid (including investment components)								
Insurance acquisition cash flows								
Total cash flows								
Others - Non Cash Items (to be specified)								
Net closing balance								
Closing assets								
Closing liabilities								
Net closing balance								

Amounts in lakh

Schedule 6a.2: Insurance Contracts measured under the PAA: Movements in carrying amounts for each class or segment

Analysis by remaining coverage and incurred claims

Name of Segment: _____

Particulars	**Current Year**					**Previous Year**				
	Liability/asset for remaining coverage		**Liability for Incurred Claims**		**Total**	**Liability/asset for remaining coverage**		**Liability for Incurred Claims**		**Total**
	Excluding loss component	**Loss component**	**Estimation of PV of future cash flows**	**Risk Adjustment for non-financial risk**		**Excluding loss component**	**Loss component**	**Estimation of PV of future cash flows**	**Risk Adjustment for non-financial risk**	
Opening assets										
Opening liabilities										
Net opening balance										
Changes in Profit or Loss and OCI										
Insurance revenue										
i) Contracts under the modified retrospective approach										
ii) Contracts under the fair value approach										
iii) Other contracts										
Insurance service expenses										
Incurred claims and other insurance service expenses										
Amortisation of insurance acquisition cash flows										
Adjustments to liabilities for incurred claims										
Insurance service result										

Finance income/expenses from insurance contracts (net)										
i) Through Other Comprehensive Income										
ii) Through Profit and Loss										
Effect of movements in exchange rates										
Others (to be specified)										
Total changes in profit or loss and OCI										
Investment components										
Cash flows										
Premiums received										
Claims and other insurance service expenses paid (including investment components)										
Insurance acquisition cash flows										
Total cash flows										
Others - Non Cash Items (to be specified)										
Net closing balance										
Closing assets										
Closing liabilities										
Net closing balance										

Amounts in lakhs

Schedule 6a.3: Insurance Contracts not measured under the PAA : Movement of carrying amounts for each class or segment

Analysis by measurement component

Name of Segment: _____

Particulars	Current Year						Previous Year					
	Estimation of PV of future Cash Flows	Risk Adjustment for non-financial risk	CSM			Total	Estimation of PV of future Cash Flows	Risk Adjustment for non-financial risk	CSM			Total
			Contracts under Modified retrospective approach	Contracts under Fair value approach	Other Contracts				Contracts under Modified retrospective approach	Contracts under Fair value approach	Other Contracts	
Opening assets												
Opening liabilities												
Net opening balance												
Changes in Profit or Loss and OCI												
Changes that relate to current services												
CSM recognised for services provided												
Change in risk adjustment for non-financial risk for risk expired												
Experience adjustments												
Changes that relate to future services												
Contracts initially recognised in the year												
Changes in estimates that adjust the CSM												
Changes in estimates that result in losses and reversal of losses on onerous contracts												
Changes that relate to past services												
Adjustments to liabilities for incurred claims												
Insurance service result												
Finance income/expenses from insurance contracts (net)												
i) Through Other Comprehensive Income												
ii) Through Profit and Loss												
Effect of movements in exchange rates												
Others (to be specified)												
Total changes in profit or loss and OCI												
Investment components												
Cash flows												
Premiums received												
Claims and other insurance												

service expenses paid (including investment components)												
Insurance acquisition cash flows												
Total cash flows												
Others - Non Cash Items (to be specified)												
Net closing balance												
Closing assets												
Closing liabilities												
Net closing balance												

Amounts in lakhs

Schedule 6b.1: Reinsurance Contracts not measured under the PAA: Movement in Carrying Amounts for each class or segment

Analysis by remaining coverage and incurred claims

Name of Segment: _____

Particulars	**Current Year**				**Previous Year**			
	Liability/ asset for remaining coverage		**Liability/ asset for Incurred Claims**	**Total**	**Liability / asset for remaining coverage**		**Liability/ asset for Incurred Claims**	**Total**
	Excluding loss recovery component	**Loss recovery component**			**Excluding loss recovery component**	**Loss recovery component**		
Opening assets								
Opening liabilities								
Net opening balance								
Changes in Profit or Loss and OCI								
Allocation of reinsurance premiums paid								
Amounts recoverable from reinsurers								
Amount recoverable for incurred claims and other insurance service expenses								

Changes in amounts recoverable that relate to past service								
Recoveries of losses on onerous underlying contracts and reversal of such losses								
Effect of non-performance risk of reinsurers								
Others (to be specified)								
Net expenses/income from reinsurance contracts								
Net finance expenses/income from reinsurance contracts								
Effect of movements in exchange rates								
Others (to be specified)								
Total changes in profit or loss and OCI								
Cash flows								
Premiums paid								
Amounts received								
Total cash flows								
Others - Non Cash Items (to be specified)								
Net closing balance								
Closing assets								
Closing liabilities								
Net closing balance								

Amounts in lakhs

Schedule 6b.2: Reinsurance Contracts measured under the PAA: Movements in carrying amounts for each class or segment

Analysis by remaining coverage and incurred claims

Name of Segment: _____

Particulars	**Current Year**					**Previous Year**				
	Liability/ asset for remaining coverage		**Liability/ asset for Incurred Claims**		**Total**	**Liability/ asset for remaining coverage**		**Liability/ asset for Incurred Claims**		**Total**
	Excluding loss recovery component	**Loss recovery component**	**Estimation of PV of future cash flows**	**Risk Adjustment for non-financial risk**		**Excluding loss recovery component**	**Loss recovery component**	**Estimation of PV of future cash flows**	**Risk Adjustment for non-financial risk**	
Opening assets										
Opening liabilities										
Net opening balance										
Changes in Profit or Loss and OCI										
Allocation of reinsurance premiums paid										
Amounts recoverable from reinsurers										
Amount recoverable for incurred claims and other insurance service expenses										
Changes in amounts recoverable that relate to past service										
Recoveries of losses on onerous underlying contracts and reversal of such losses										
Effect of non-performance risk of reinsurers										
Others (to be specified)										
Net expenses/income from reinsurance contracts										
Net finance expenses/income from reinsurance contracts										
Effect of movements in exchange rates										
Others (to be specified)										
Total changes in profit or loss and OCI										

Cash flows										
Premiums paid										
Amounts received										
Total cash flows										
Others - Non Cash Items (to be specified)										
Net closing balance										
Closing assets										
Closing liabilities										
Net closing balance										

Amounts in lakhs

Schedule 6b.3: Reinsurance Contracts not measured under the PAA: Movement of carrying amounts for each class or segment

Analysis by measurement component

Name of Segment: _____

Particulars	**Current Year**						**Previous Year**					
	Estimation of PV of future Cash Flows	**Risk Adjustment for non-financial risk**	**CSM**			**Total**	**Estimation of PV of future Cash Flows**	**Risk Adjustment for non-financial risk**	**CSM**			**Total**
			Contracts under Modified retrospective approach	**Contracts under Fair value approach**	**Other Contracts**				**Contracts under Modified retrospective approach**	**Contracts under Fair value approach**	**Other Contracts**	
Opening assets												
Opening liabilities												
Net opening balance												
Changes in Profit or Loss and OCI												
Changes that relate to current services												
CSM recognised for the period												
Risk adjustment for the period												
Experience adjustments												
Others (to be specified)												
Changes that relate to future services												
Contracts initially recognised in the year												
Changes in estimates that adjust the CSM												
Changes in estimates that result in losses and reversal of losses on onerous contracts												
Changes that relate to past services												
Adjustments to liabilities for												

incurred claims												
Effect of non-performance risk of reinsurers												
Others (to be specified)												
Net expenses/income from reinsurance contracts												
Net finance expenses/income from reinsurance contracts												
i) Through Other Comprehensive Income												
ii) Through Profit and Loss												
Effect of movements in exchange rates												
Others (to be specified)												
Total changes in Profit or Loss and OCI												
Cash flows												
Premiums paid												
Amounts received												
Total cash flows												
Others - Non Cash Items (to be specified)												
Net closing balance												
Closing assets												
Closing liabilities												
Net closing balance												

Amounts in lakhs

Schedule 6.1: Insurance and reinsurance contracts not measured under the PAA: Effect of contracts initially recognized in the year for each class or segment

Name of Segment: ___

	Current Year						**Previous Year**					
Particulars	**Contracts except Acquired Business**			**Contracts under Acquired Business**			**Contracts except Acquired Business**			**Contracts under Acquired Business**		
	Profitable Contracts	**Onerous Contracts**	**Total**	**Profitable Contracts**	**Onerous Contracts**	**Total**	**Profitable Contracts**	**Onerous Contracts**	**Total**	**Profitable Contracts**	**Onerous Contracts**	**Total**
Insurance acquisition cash flows												
Claims and other insurance service expenses payable												

Estimates of present value of cash outflows												
Estimates of present value of cash inflows												
Risk adjustment for non-financial risk												
CSM												
Losses recognised on initial recognition												
New Reinsurance contracts held during the year												
Estimates of present value of cash inflows												
Estimates of present value of cash outflows												
Risk adjustment for non-financial risk												
CSM												
Total												

Amounts in lakhs

Schedule 6.2: Claims Development (to be given for ten years) (for other than life insurance business)

(As per para 130 of Ind AS 117)

Name of Segment: _____

Particulars	Beyond 10	CY(-)10	CY(-)9	CY(-)8	CY(-)7	CY(-)6	CY(-)5	CY(-)4	CY(-)3	CY(-)2	CY(-)1	Current Year (CY)	Total
Estimates of undiscounted cumulative claims													
At end of accident year													
one year later													
two year later													
three year later													
four year later													
five year later													
six year later													
seven year later													
eight year later													
nine year later													
ten year later													
Cumulative claims paid													
Liabilities-accident years past ten years													
Liabilities-accident years before the past ten years													
Effect of discounting													
Liabilities for incurred claims included in the Balance Sheet (including Statement of Changes in Equity)													

Amounts in lakhs

Schedule 6c: Investment Contracts Liabilities

Name of Segment: _____

Particulars	**Current Year**	**Previous Year**
Opening Balance		
Amounts recognised in Profit or Loss and in OCI*		
Investment return on underlying		
Management fees deducted		
Any movement in exchange rates		
Others (to be specified)		
Subtotal (a)		
Cash Flows:		
Premiums / Contributions received		
Benefits Paid		
Subtotal (b)		
Closing Balance		

* The items should be separately disclosed under profit or loss and in OCI as applicable

Note

1. The movement in investment contracts (Profit or Loss) shall be equal to investment return on underlying. Revenue from investment management services (Profit or Loss) shall be equal to management fees deducted

2. Investment contracts with discretionary participation features shall be presented separately in the same format as prescribed for 'insurance contracts not measured under PAA approach

Amounts in lakhs

Schedule 7: Property, plant and equipment

Particulars	**Land**			**Buildings**			**Equipment**		**Furniture and Fittings**		**Vehicles**		**Others (to be specified)**		**Total**			
	Freehold	**Owner Occupied property backing Insurance contract with DPF**	**Right to Use under a lease**	**Freehold**	**Owner Occupied property backing Insurance contract with DPF**	**Right to Use under a lease**	**Owned**	**Right to Use under a lease**	**Owned**	**Right to Use under a lease**	**Owned**	**Right to Use under a lease**	**Owned**	**Right to Use under a lease**	**Freehold /Owned**	**Right to Use under a lease**	**Owner Occupied property backing Insurance contract with DPF**	**Total**
Current Year																		
At cost or fair value at the beginning of the year																		
Additions																		
Revaluation adjustment, if any																		
Disposals																		
Reclassification from/to held for sale																		
Other adjustments (please specify)																		
At cost or fair value at the end of the year																		
Accumulated depreciation and																		

impairment as at the beginning of the year																		
Depreciation for the year																		
Disposals																		
Impairment/(reversal) of impairment																		
Reclassification from/to held for sale																		
Other adjustments (please specify)																		
Accumulated depreciation and impairment as at the end of year																		
Net carrying amount as at the end of the year (A)																		
Capital Work in Progress including advances for capital assets (B)																		
Total (C) = (A) + (B)																		
Previous Year																		
At cost or fair value at the beginning of the year																		
Additions																		
Revaluation																		

adjustment, if any																		
Disposals																		
Reclassification from/to held for sale																		
Other adjustments (please specify)																		
At cost or fair value at the end of the year																		
Accumulated depreciation and impairment as at the beginning of the year																		
Depreciation for the year																		
Disposals																		
Impairment/(reversal) of impairment																		
Reclassification from/to held for sale																		
Other adjustments (please specify)																		
Accumulated depreciation and impairment as at the end of year																		
Net carrying amount as at the end of the																		

year (A)																		
Capital Work in Progress including advances for capital assets (B)																		
Total (C) = (A) + (B)																		

Amounts in lakhs

Schedule 8: Goodwill

Particulars	**Current Year**	**Previous Year**
At cost, beginning of the period		
Additions		
Disposals		
Other adjustments (to be specified)		
Total cost (A)		
Accumulated impairment:		
At beginning of the period		
Additions		
Disposals		
Other adjustments (to be specified)		
Total impairment (B)		
Net carrying amount (C) = (A)+ (B)		

Schedule 9: Other Intangible Assets

Particulars	**Current Year**			**Previous Year**		
	Software	**Others**	**Total**	**Software**	**Others**	**Total**
At cost or fair value at the beginning of the period						
Additions						
Disposals						
Other adjustments (to be specified)						
At cost or fair value at the end of the period						

Accumulated amortization and impairment at beginning of the period						
Amortization for the year						
Disposals						
Impairment/(reversal) of impairment						
Other adjustments (to be specified)						
Total amortization and impairment						
Net carrying amount (A)						
Intangible assets under development (B)						
Total (C) = (A) + (B)						

Amounts in lakhs

Schedule 10: Other assets

Particulars	**Current Year**	**Previous Year**
Deposits with ceding companies		
Prepayments		
Stamps on Hand		
Others (to be specified)		
Total Other Assets		

Amounts in lakhs

Schedule 11: Borrowings

Particulars	**Current Year**	**Previous Year**
Debentures/Bonds		
Borrowings from Banks		
Borrowings from Financial Institutions		
Others (to be specified)		
Total		

Amounts in lakhs

Schedule 12: Other financial liabilities

Particulars	**Current Year**	**Previous Year**
Derivatives		
Insurance Agents and Insurance		
Intermediaries' Balances		
Balances due to Other Insurers (under co-insurance arrangements)		
Deposits held on reinsurance ceded		
Sundry Creditors		
Unclaimed amounts		
Others (to be specified)		
Total		

Note : *Disclosure of Derivatives would need to specify the kinds of derivatives i.e. Currency forwards, Interest Rate Swaps, alongwith the disclosures of whether the same are towards cash flow hedges, fair value hedges, and/or undesignated derivatives*

Amounts in lakhs

Schedule 13: Other liabilities

Particulars	**Current Year**	**Previous Year**
Premiums received in advance		
Unallocated Premium*		
Proposal Deposit#		
Rates and Taxes Payable		
Others (to be specified)		
Total Other Liabilities		

**Unallocated premium includes amounts received from policyholders pending unitisation and/or excess premium received*

#Proposal Deposit includes amounts received from policyholders which are pending policy issuance.

Amounts in lakhs

Schedule 14: Provisions

Particulars	**Current Year**	**Previous Year**
For defined benefit plans		
Others (to be specified)		
Total Provisions		

Amounts in lakhs

Schedules to statement of profit and loss

Schedule 15: Insurance revenue

Particulars	**Current Year**			**Previous Year**		
	Segment	**Segment….**	**Total**	**Segment**	**Segment….**	**Total**
Contracts not measured under the PAA						
Amounts relating to changes in liabilities for remaining coverage						
i) CSM recognised for services provided						
ii) Change in risk adjustment for non-financial risk						
iii) Release of expected incurred claims and other insurance service expenses						
Recovery of insurance acquisition cash flows						
Sub-total						
Contracts measured under the PAA						
Premium allocated for the period						
Less: Acquisition costs						
Sub-Total						
Total insurance revenue						

Amounts in lakhs

Schedule 16: Insurance Service and Other Expenses for life insurance business

Particulars		Current Year					Previous Year				
		Policyholders			Shareholders	Total	Policyholders			Shareholders	Total
		Segment	Segment….	Total			Segment	Segment….	Total		
a)	Incurred claims										
i)	Mortality/ Death Claims										
ii)	Maturity										
iii)	Annuity										
iv)	Health										
v)	Surrenders										
vi)	Riders										
vii)	Survival/Periodical Benefit										
viii)	Others (to be specified)										
b)	Losses and reversals on onerous contracts										
c)	Adjustments to liabilities for incurred claims										
d)	Employee benefit expenses										
e)	Commission										
f)	Other expenses										
(i)	Travel & Conveyance										
(ii)	Rent										
(iii)	Rates & taxes										
(iv)	Repairs & Maintenance										
(v)	Energy Cost										
(vi)	Printing & Stationery										
(vii)	Communication expenses										
(viii)	Legal & Professional fees										
(ix)	Auditor Fees										
(x)	Advertisement & Publicity										
(xi)	Bank Charges										
(xii)	Depreciation &Amortisation										
(xiii)	Impairment losses (other than on										

	financial assets)										
(xiv)	Acquisition cost for financial instruments classified/ designated as FVTPL										
(xv)	Others (to be specified)										
(xvi)	Miscellaneous expenses										
	Adjusted for										
(A)	Amounts attributed to insurance acquisition cash flows										
(B)	Amortisation of insurance acquisition cash flows										
(C)	Release of loss component on onerous contracts										
(D)	Investment Component										
(E)	Claims recognised through Investment contract liability										
	Total										
	Represented by:										
	-Allocated to insurance service expenses										
	-Allocated to acquisition expenses										
	-Costs not directly attributed to insurance contracts										
	- Others (to be specified)										

Schedule 16: Insurance Service and Other Expenses for other than life insurance business

Particulars		**Current Year**					**Previous Year**				
		Policyholders			**Shareholders**	**Total**	**Policyholders**			**Shareholders**	**Total**
		Segment	**Segment….**	**Total**			**Segment**	**Segment….**	**Total**		
a)	Incurred claims										
b)	Losses and reversals on onerous contracts										
c)	Adjustments to liabilities for incurred claims										

d)	Employee benefit expenses										
e)	Commission										
f)	Other expenses										
(i)	Travel & Conveyance										
(ii)	Rent										
(iii)	Rates & taxes										
(iv)	Repairs & Maintenance										
(v)	Energy Cost										
(vi)	Printing & Stationery										
(vii)	Communication expenses										
(viii)	Legal & Professional fees										
(ix)	Auditor Fees										
(x)	Advertisement & Publicity										
(xi)	Bank Charges										
(xii)	Depreciation & Amortisation										
(xiii)	Impairment losses (other than on financial assets)										
(xiv)	Acquisition cost for financial instruments classified/ designated as FVTPL										
(xv)	Others (to be specified)										
(xvi)	Miscellaneous expenses										
	Adjusted for										
(A)	Amounts attributed to insurance acquisition cash flows										
(B)	Amortisation of insurance acquisition cash flows										
(C)	Release of loss component on onerous contracts										
(D)	Investment Component										
(E)	Claims recognised through Investment contract liability										
	Total										
	Represented by:										
	-Insurance service expenses										
	-Allocated to acquisition expenses										
	-Costs not directly attributed to insurance contracts										
	- Others (to be specified)										

Amounts in lakhs

Note 16a: Analysis of assets for insurance acquisition cash flows

(As per para 105A and 105 B of Ind AS 117)

Particulars	**Current Year**			**Previous Year**	
	Segment	**Segment…**	**Total**	**Segment**	**Segment…**
Opening balance presented in insurance contract assets					
Opening balance presented in insurance contract liabilities					
Total opening balance					
Acquisitions through business combinations					
Assets recognised for insurance acquisition cash flows paid during the year					
Amounts derecognised on initial recognition of groups of insurance contracts					
Impairment losses recognised during the year					
Reversal of impairment losses recognised in prior period					
Effect of movements in exchange rates					
Total closing balance for asset for insurance acquisition cash-flows					

Amounts in lakhs

Schedule 16b: Expected timing of derecognition of insurance acquisition cash flows asset

(As per para 105B of Ind AS 117)

Number of years until expected derecognition at end of year	**Current Year**			**Previous Year**		
	Segment	**Segment…**	**Total**	**Segment**	**Segment…**	**Total**
1						
2						
3						
4						
5						
6						
…						
….						
Total						

Amounts in lakhs

Schedule 16c: Net expenses/income from reinsurance contracts

Particulars	Current Year			Previous Year		
	Segment	Segment…	Total	Segment	Segment…	Total
Contracts not measured under the PAA						
Allocation of reinsurance premiums						
Expected amount recoverable for incurred claims and other insurance service expenses						
Risk adjustment recognized for the period						
CSM recognized for the period						
Experience adjustment						
Others (to be specified)						
Amounts recoverable from reinsurers						
Amount recoverable for incurred claims and other insurance service expenses						
Changes in amounts recoverable that relate to past service						
Recoveries of losses on onerous underlying contracts and reversal of such losses						
Effect of change of non-performance risk of reinsurers						
Others (to be specified)						
Net expenses/income from reinsurance contracts held						
Contracts measured under the PAA						
Allocation of reinsurance premiums						
Amounts recoverable from reinsurers						
Amount recoverable for incurred claims and other insurance service expenses						
Changes in amounts recoverable that relate to past service						
Recoveries of losses on onerous underlying contracts and reversal of such losses						
Effect of change of non-performance risk of reinsurers						
Others (to be specified)						
Net expenses/income from reinsurance contracts						

held						
Total net expenses/income from reinsurance contracts held						

Amounts in lakhs

Schedule 17: Investment revenue on financial assets not measured at FVTPL

Name of Segment: _____

Particulars		Current Year						Previous Year					
		Amortised Cost		Fair value through OCI		Total		Amortised Cost		Fair value through OCI		Total	
		Policyholders	Shareholders	Policyholders	Shareholders	Policyholders	Shareholders	Policyholders	Shareholders	Policyholders	Shareholders	Policyholders	Shareholders
a)	**Interest on**												
i.	Government Securities												
ii.	Deposits with Banks/Financial Institutions												
iii.	Debentures/ Bonds												
iv.	Other Debt Securities												
	Sub-Total												
b)	**Gains/losses arising from the derecognition of:**												
i.	Government Securities												
ii.	Deposits with Banks/Financial Institutions												
iii.	Debentures/ Bonds												
iv.	Equity												
v.	Derivatives												
vi.	Others (to be specified)												
	Sub-Total												
c)	Dividend Income												
d)	Foreign exchange gain on Financial Assets												
e)	Others (to be specified)												
	Total												

Amounts in lakhs

Schedule 18: Other Investment Revenue

Name of Segment: _____

Particulars		Current Year						Previous Year					
		At FVTPL		Designated as FVTPL		Total		At FVTPL		Designated as FVTPL		Total	
		Policyholders	Shareholders	Policyholders	Shareholders	Policyholders	Shareholders	Policyholders	Shareholders	Policyholders	Shareholders	Policyholders	Shareholders
a)	**Interest on**												
i.	Government Securities												
ii.	Deposits with Banks/Financial Institutions												
iii.	Debentures/ Bonds												
iv.	Other Debt Securities												
	Sub-Total												
b)	**Gains/losses arising from the derecognition of:**												
i.	Government Securities												
ii.	Deposits with Banks/Financial Institutions												
iii.	Debentures/ Bonds												
iv.	Other Debt Securities												
v.	Equity												
vi.	Mutual Funds												
vii.	Derivatives												
viii.	Investment Property												
ix.	Owner Occupied Property backing insurance contracts with Direct Participating Features												
x.	Others (to be specified)												
	Sub-Total												
c)	**Net Gain/(loss) on Fair Value changes***												
i.	Government Securities												
ii.	Deposits with Banks/Financial Institutions												
iii.	Debentures/ Bonds												
iv.	Other Debt Securities												
v.	Equity												
vi.	Mutual Funds												

vii.	Derivatives												
viii.	Investment Property												
ix.	Owner Occupied Property backing insurance contracts with Direct Participating Features												
x.	Others (to be specified)												
	Sub-Total												
d)	Dividend Income												
e)	Rental Income from Investment Property												
f)	Foreign exchange gain on Financial Assets												
g)	Others (to be specified)												
	Total												

Amounts in lakhs

Schedule 19: Impairment of financial assets

Name of Segment: _____

Particulars	**Current Year**								**Previous Year**							
	Amortised Cost		**Fair value through OCI**		**Any other basis**		**Total**		**Amortised Cost**		**Fair value through OCI**		**Any other basis**		**Total**	
	Policyholders	**Shareholders**	**Policyholders**	**Shareholders**	**Policyholders**	**Shareholders**	**Policyholders**	**Shareholders**	**Policyholders**	**Shareholders**	**Policyholders**	**Shareholders**	**Policyholders**	**Shareholders**	**Policyholders**	**Shareholders**
i). Government Securities																
ii). Deposits with Banks/ Financial Institutions																
iii). Debentures/ Bonds																
iv). Other Debt Securities																
v). Others (to be specified)																

Total Impairment on Financial Instruments																

Amounts in lakhs

Schedule 20 a: Finance income/expenses from insurance contracts

Particulars	**Current Year**			**Previous Year**	
	Segment	**Segment…**	**Total**	**Segment**	**Segment…**
Changes in fair value of underlying items of insurance contracts with direct participating features					
Interest accreted					
Effect of changes in interest rates and other financial assumptions					
Effect of measuring changes in estimates at current rates and adjusting the CSM at rates on initial recognition					
Others (to be specified)					
Total finance income/expenses from insurance contracts					

***Note**: If an entity has selected the accounting policy in para 88(b) & 89(b), it shall disclose separately the amounts recognised in OCI*

Amounts in lakhs

Schedule 20 b: Finance income/ expenses from reinsurance contracts

Particulars	**Current Year**			**Previous Year**		
	Segment	**Segment…**	**Total**	**Segment**	**Segment…**	**Total**
Interest accreted						
Effect of changes in interest rates and other financial assumptions						
Effect of measuring changes in estimates at current rates and adjusting the CSM at rates on initial recognition						
Others (to be specified)						
Total finance income/expenses from reinsurance contracts						

***Note:** If an entity has selected the accounting policy in para 88(b) & 89(b), it shall disclose separately the amounts recognised in OCI*

Amounts in lakhs

Schedule 21: Other Income

Particulars	Current Year			Previous Year		
	Policyholders	Shareholders	Total	Policyholders	Shareholders	Total
Net gain/(loss) on ineffective portion of hedges						
Net gain/(loss) on derecognition of property, plant and equipment						
Net gain or loss on foreign currency transactions and translation (other than considered as finance cost) (to be specified)						
Others (to be specified)						
Total Other Income						

Amounts in lakhs

Schedule 22: Finance cost

Particulars	Current Year			Previous Year		
	Policyholders	Shareholders	Total	Policyholders	Shareholders	Total
Interest on financial liabilities measured at amortised cost						
Dividend on redeemable preference shares treated as liability						
Others (to be specified)						
Total Finance Cost						

Schedule 23: Maturity analysis: expected recognition of the CSM remaining at the end of the reporting period (As per para 109 of Ind AS 117)

Name of Segment: _____

Particulars	Amount of CSM expected to be recognised by projection year													
Description of the group of (re)insurance contracts	Previous Year Closing Balance	Current Year Closing Balance	Projection Year 1	Projection Year 2	Projection Year 3	Projection Year 4	Projection Year 5	Projection Year 6	Projection Year 7	Projection Year 8	Projection Year 9	Projection Year 10	Projection Year 10+	Total
Insurance contracts issued														
Reinsurance contracts held														
Total CSM														

Part II: AUDITOR'S REPORT

1. The report of the auditors on the Ind AS Financial Statements of every insurer shall deal with the matters specified herein:

(1) That they have obtained all the information and explanations which, to the best of their knowledge and belief were necessary for the purposes of their audit and whether they have found them satisfactory;

(2) Whether proper books of account have been maintained by the insurer so far as appears from an examination of those books;

(3) Whether proper returns, audited or unaudited, from branches and other offices have been received and whether they were adequate for the purpose of audit;

(4) Whether the Balance Sheet, Statement of changes in equity, Profit and Loss account, Receipts and Payments account and Revenue account dealt with by the report are in agreement with the books of account and returns;

2. The auditors shall express their opinion on the Ind AS Financial Statements of every insurer:

(1) Whether the Balance Sheet gives a true and fair view of the insurer's affairs as at the end of the financial year/period;

(2) Whether the Statement of changes in equity gives a true and fair view of the insurer's affairs as at the end of the financial year/period

(3) Whether the Profit and Loss account gives a true and fair view of the profit or loss for the financial year/period;

(4) Whether the Receipts and Payments account gives a true and fair view of the receipts and payments for the financial year/period;

(5) Whether the Revenue Account gives a true and fair view of the Profit/Loss under Revenue Account for the financial year/period;

(6) The Ind AS Financial Statements stated at (1) to (5) above are prepared in accordance with the requirements of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Insurance Regulatory and Development

Authority Act, 1999 (41 of 1999) and the Companies Act, 2013, to the extent applicable and in the manner so required.

(7) Investments have been valued in accordance with the provisions of the Act and these regulations.

(8) The accounting policies selected by the insurer are appropriate and are in compliance with the applicable Ind AS and with the accounting principles, as specified in these regulations or any order or direction issued in this behalf.

3. The auditors shall further certify that:

(1) they have reviewed the management report and there is no apparent mistake or material inconsistencies with the Ind AS Financial Statements;

(2) the insurer has complied with the terms and conditions of the registration stipulated by the Authority.

4. A certificate signed by the auditors [which shall be in addition to any other certificate or report which is required by law to be given with respect to the Balance Sheet] certifying that-

(1) they have verified the cash balances and the securities relating to the insurer's loans, reversions and life interests (in the case of life insurers) and investments;

(2) to what extent, if any, they have verified the investments and transactions relating to any trusts undertaken by the insurer as trustee; and

(3) no part of the assets of the policyholders' funds has been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) relating to the application and investments of the policyholders' funds.”

A. R. NITHIYANANTHAM, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./801/2025-26]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.03.30 15:41:22 +05'30'